

ALE'S

Diglot Edition

द्विभाषी संस्करण

THE UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD ADHINIYAM, 1965

(U.P. Act. No. 1 of 1966)

With ALLIED RULES

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965

(अधिनियम संख्या 1 सन् 1966)

साथ में सम्बन्धित नियमावली

संकलनकर्ता

आर.के.मिश्रा एडवोकेट
उच्च न्यायालय इलाहाबाद

ALLAHABAD LAW EMPORIUM

Allahabad-211001 (U.P.) INDIA

**THE UTTAR PRADESH AVAS
EVAM VIKAS PARISHAD
ADHINIYAM, 1965**

Diglot

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्
अधिनियम, 1965

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965

धारा

पृष्ठ

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ.....1
2. परिभाषायें.....1

अध्याय 2

परिषद् की स्थापना और उसका कार्य-संचालन

3. परिषद् का संघटन.....3
4. उपाध्यक्ष आदि होने के लिये अनर्हताएं.....4
5. उपाध्यक्ष का कार्यकाल.....5
6. उपाध्यक्ष पद के सम्बन्ध में व्यवस्था.....5
7. आवास आयुक्त के सम्बन्ध में व्यवस्था.....5
8. अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति.....5
9. इकाईयाँ.....6
10. आवास समितियाँ.....6
11. आवास आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण.....6
12. अधिकारों का प्रतिनिधान.....6
13. स्वत्व होने के कारण कार्यवाहियों में भाग लेने से अनर्हता.....7
14. अनौपचारिकता, रिक्ति आदि के कारण किये गये कार्य अवैध नहीं होंगे.....7

अध्याय 3

परिषद् के कृत्य और अधिकार

15. परिषद् के कृत्य.....7
16. परिषद् द्वारा आवास या सुधार योजना कब बनायी जायेगी.....9
17. विषय जिनकी व्यवस्था आवास या सुधार योजनाओं में की जायेगी.....9
18. आवास और सुधार योजनाओं के प्रकार.....10
19. गृह स्थान योजना.....11

धारा

पृष्ठ

20. मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना.....	11
21. पुनर्वास योजना.....	12
22. सड़क योजना.....	12
23. भावी सड़क योजना.....	13
24. प्रसार योजना.....	14
25. भूमि विकास योजना.....	14
26. बाजार योजना.....	15
27. बाढ़ योजना.....	15
28. आवास एवं सुधार योजनाओं के लिए नोटिस.....	15
29. प्रस्तावित अर्जन या आसुधार शुल्क लगाये जाने का नोटिस.....	16
30. आपत्तियाँ.....	16
31. योजना का परित्याग, परिष्कार अथवा स्वीकृति.....	16
32. योजना का प्रारम्भ.....	17
33. योजना प्रारम्भ होने के पश्चात् उसमें परिवर्तन.....	17
34. योजना का निष्पादन.....	18
35. योजना के लिए प्रस्तावित या उसमें समाविष्ट क्षेत्र में भवन निर्माण करने पर निर्वन्धन.....	18
36. मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना के संबंध में विशेष अधिकार.....	19
37. मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किरायेदारों के संबंध में उपबन्ध.....	21
38. स्थानीय प्राधिकारी में निहित भवन या भूमि का परिषद् को संक्रमण.....	23
39. योजना के प्रयोजन के लिये निजी सड़क या हाता का परिषद् को संक्रमण.....	23
40. परिषद् में निहित सड़कों की मरम्मत.....	24
41. सड़कों और खुले स्थानों का स्थानीय प्राधिकारी को संक्रमण.....	24
42. सड़क पर निर्माण-कार्य की अवधि में प्रबन्ध.....	25
43. सार्वजनिक सड़क या हाता बन्द करने का अधिकार.....	25
44. अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के अधिकारों पर इस अधिनियम के अधीन योजनाओं का प्रभाव.....	26

धारा

पृष्ठ

45. योजना या प्रबन्ध आदि के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा परिषद् को भूमि आदि का संक्रमण.....	26
46. दूसरों की प्रेरणा पर अन्य परियोजनाओं को हाथ में लेने का परिषद् का अधिकार.....	27
47. परिषद् द्वारा अन्य योजनाओं का निष्पादन.....	27
48. पर्यवेक्षण और प्रतिशत व्यय.....	28
49. परिषद् के अभिलेखों को मंगाने और किसी योजना का परिष्कार या रद्द करने का राज्य सरकार का अधिकार.....	28

अध्याय 4

आसुधार शुल्क

50. आसुधार शुल्क के संबंध में घोषणा.....	28
51. आसुधार शुल्क का निर्धारण.....	29
52. मांग का नोटिस.....	29
53. भूमि पर प्रभार के रूप में आसुधार शुल्क.....	30
54. मालगुजारी की बकाया के रूप में आसुधार शुल्क आदि का वसूल किया जाना.....	30

अध्याय 5

संपत्ति संविदा और वित्त

55. भूमि अर्जित करने का अधिकार.....	30
56. अनुबन्ध द्वारा भूमि अर्जित और निस्तारित करने का अधिकार.....	30
57. संविदा आदि का निष्पादन और रजिस्ट्री.....	31
58. वित्तीय उपबन्ध.....	31
59. ऋण-पत्र.....	31
60. ऋण का प्रतिदान.....	32
61. सरकार द्वारा अनुदान और ऋण.....	32
62. संपत्ति के संक्रमण पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क.....	32
63. लेखे और लेखा-परीक्षा.....	33

अध्याय 6

न्यायाधिकरण

64. न्यायाधिकरण के कृत्य और उसका संघटन.....	34
65. विचाराधीनवादों का न्यायाधिकरण को संक्रमण.....	35
66. न्यायाधिकरण के निर्णयों का अन्तिम होना.....	35
67. न्यायाधिकरण के अभिनिर्णयों और आदेशों से सम्बद्ध अन्य उपबन्ध.....	35

धारा

अध्याय 7

परिषद् के भू-गृहादि से बेदखली और किराये तथा क्षति मूल्य की वसूली

68. यू०पी० कंट्रोल ऑफ रेन्ट एन्ड इक्वीजीशन ऐक्ट 1947 (संख्या 3, 1947) का अपवर्जन.....	36
69. बेदखली और किराये, आदि की वसूली के लिये संक्षिप्त प्रक्रिया.....	36
70. अपील.....	38
71. वेतन या मजदूरियों से कटौतियाँ करके किराये की वसूली.....	38
71-क. निरस्त.....	39
72. न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक.....	39

अध्याय 8

अपराध और शास्तियाँ

73. योजनाओं का उल्लंघन करके भवन निर्माण करने के लिये शास्ति.....	39
74. ठेकेदार के कार्य में रुकावट डालने या चिन्ह हटाने के लिये शास्ति.....	39
75. परिषद् के साथ ठेके आदि में अंश या स्वत्व अर्जित करने के लिये शास्ति.....	40
76. अन्य मामलों में शास्ति.....	40
77. अपराधी का प्रतिकर भुगतान करने का दायित्व.....	40
78. कम्पनियों द्वारा अपराध.....	41
79. प्रक्रिया.....	41
80. पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य.....	41
81. अपराधों का अभिसंधान करना.....	41

अध्याय 9

विविध

82. अनाधिकृत निर्माणों को हटाने के लिये निदेश देने का अधिकार.....	41
83. स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन.....	42
84. प्रवेश करने का अधिकार.....	42
85. प्रतिकर का भुगतान करने के लिये सामान्य अधिकार.....	43
86. अध्यक्ष, आदि लोक-सेवक समझे जायेंगे.....	43
87. सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण.....	43

धारा

पृष्ठ

88. वाद और विधिक कार्यवाहियाँ.....	43
89. परिषद् के लेख्यों को सिद्ध करने की रीति.....	43
90. स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा परिषद् को कर निर्धारण पुस्तिकाओं से प्रतिलिपियाँ दी जायेंगी.....	44
91. देयों और शास्तियों की वसूली की रीति.....	44

अध्याय 10

वाह्य नियंत्रण

92. परिषद् तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों पर राज्य सरकार का नियंत्रण.....	44
93. परिषद् का विघटन.....	44

अध्याय 11

नियम और विनियम

94. नियम बनाने का अधिकार.....	45
95. विनियम बनाने का अधिकार.....	48

अध्याय 12

निरसन तथा संक्रमणकालीन उपबन्ध

96. निरसन, संशोधन और अपवाद.....	49
97. इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का विघटन और उसके परिणाम.....	50
98. कठिनाइयाँ दूर करने का अधिकार.....	52
अनुसूची	52

नियम

पृष्ठ

• उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (अध्यक्ष को देय पारिश्रमिक तथा परिषद् के सदस्यों को देय भत्ता) नियमावली, 1967.....	55
• उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (ऋण और अग्रिम धन देना) नियमावली, 1968.....	59
• उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (आवास समितियों का संघटन) नियमावली, 1967.....	60
• उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (परिषद् तथा आवास आयुक्त द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान) नियमावली, 1968.....	62
• उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (नोटिस के प्रपत्र और उसे तामील करने की रीति) नियमावली, 1967.....	64

नियम

पृष्ठ

● उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किरायेदारों के संबंध में उपबन्ध) नियमावली, 1968.....	66
● उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (भूमि का अर्जन और निस्तारण) नियमावली, 1969.....	69
● उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारियों को पारिश्रमिक तथा न्यायाधिकरण के अभिनिर्णयों और आदेशों का निष्पादन) नियमावली, 1967.....	73
● उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (वेतन या मजदूरियों से कटौती करके किराये की वसूली के लिये अनुबन्ध) नियमावली, 1967.....	74
● उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (बेदखली और किराये की वसूली के लिये कार्यवाहियों में देय व्यय निश्चित करना) नियमावली, 1967.....	75
● उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (भवन में परिवर्तन करने या उसे गिराने के व्यय की वसूली) नियमावली, 1966.....	76
● उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना के क्षेत्र में भवनों के अध्यासियों को अस्थायी वैकल्पिक गृह स्थान देना) नियमावली, 1968.....	77
● उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (सुधार के व्ययों की वसूली के लिए ब्याज की दर, और किस्ते अवधारित करना नियमावली, 1968.....	78
● उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उदग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014.....	80
● The Uttar Pradesh Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2016 (in English)	87
● शासनादेश.....	138
● अधिसूचना.....	151

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1966)

(उ०प्र० अधिनियम संख्या 7 सन् 2010 द्वारा संशोधित)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 17 अगस्त, 1965 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 6 सितम्बर, 1965 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

(‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 201 के अर्न्तगत राष्ट्रपति ने दिनांक 28 जनवरी, 1966 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 16 फरवरी, 1966 ई० को प्रकाशित हुआ।)

उत्तर प्रदेश में आवास एवं विकास परिषद् की स्थापना, निगमन और कार्य करने की व्यवस्था करने के लिये अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ.—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार कैंन्दूमेन्ट क्षेत्रों को छोड़कर समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे क्षेत्र में और ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे; और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

2. परिभाषाएँ.—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) “अध्यक्ष” का तात्पर्य परिषद् के अध्यक्ष से है;

(ख) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में “निश्चित दिनांक” का तात्पर्य उस दिनांक से है, जब से यह अधिनियम उस क्षेत्र में प्रचलित किया जाये;

(ग) “आसुधार शुल्क” का तात्पर्य अध्याय 4 के अधीन लगाये जाने वाले शुल्क से है;

(घ) “परिषद्” का तात्पर्य उपरोक्त अधिनियम के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से है;

(ङ) “परिषद् के भू-गृहादि” का तात्पर्य किसी ऐसे भू-गृहादि से है जो परिषद् का हो, या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उसमें निहित हो अथवा परिषद् द्वारा पट्टे पर लिया गया हो या परिषद् को सौंपा गया हो, या उसके कब्जे अथवा नियंत्रण में हो;

(च) “भवन” का तात्पर्य गृह, वाह्य गृह, अस्तबल, सायबान, झोपड़ी (जो किसी नगर, म्यूनिसिपैलिटी, टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया की सीमाओं के बाहर किसी

क्षेत्र में मिट्टी से बनी और किसी खेत से संलग्न अथवा उसमें स्थित झोपड़ी न हो) या अन्य बाड़े अथवा संरचना से है चाहे वह पत्थर, ईंट, लकड़ी, मिट्टी, धातु या किसी अन्य पदार्थ का बना हो और चाहे वह मानव निवास के लिए अथवा अन्यथा प्रयुक्त होता हो, और इसके अन्तर्गत कोई बरामदा, चबूतरा, कुर्सी, जीना, दरवाजे की सीढ़ी अथवा दीवाल भी है, जिसमें गृह से असम्बद्ध बगीचे की या कृषि भूमि की सीमा भित्ति से भिन्न अहाते की दीवाल सम्मिलित है, किन्तु इसके अन्तर्गत तम्बू या ऐसा अन्य वहनीय अस्थायी आश्रय नहीं है;

- (छ) "नगर" का तात्पर्य ¹[उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959] (उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, 1959) की धारा 3 के अधीन नगर के रूप में संघटित किसी स्थानीय क्षेत्र से है;
- (ज) "भूमि" के अन्तर्गत भूमि से होने वाले लाभ और भूमि से सम्बद्ध, या भूमि से सम्बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से बद्ध, वस्तुएं भी हैं;
- (झ) "महायोजना" का तात्पर्य तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन तैयार की गयी महायोजना से है;
- (ञ) "नगर पालिका" का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम ऐक्ट, 1916 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, 1916) की धारा क 2 के खण्ड (9) में यथा परिभाषित [नगर पालिका] से है;
- (ट) ²[नगर निगम] का तात्पर्य ²[उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959] (उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, 1959) की धारा 4 के अधीन स्थापित [नगर निगम] से है;
- (ठ) ³[नोटीफाइड एरिया] का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उ०प्र० अधिनियम सं० 2, 1916) की धारा 337 की उपधारा (2) में यथा परिभाषित [नोटीफाइड एरिया] से है;
- (ड) "भू-गृहादि" का तात्पर्य किसी भवन या भवन के किसी भाग से और इसके अन्तर्गत—
- (1) ऐसे भवन या उसके भाग से संलग्न कोई बगीचा, मैदान, भूमि और वाह्य-गृह भी हैं; तथा
 - (2) ऐसे भवन या उसके भाग में उसके और अधिक लाभकारी उपयोग के लिये लगायी गयी फिटिंग भी है;
- (ढ) "नियत" का तात्पर्य नियमों द्वारा नियत से है;
- (ण) "नियत प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी के सभी या किसी कृत्य का सम्पादन करने के लिये नियुक्त करे;
- (त) "विनियमों" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है;
- (थ) "नियमों" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है;
- (द) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित (30 मई, 1994 से प्रभावी)।
 2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित (30 मई, 1994 से प्रभावी)।
 3. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा अब नगर पंचायत है।

- (ध) ¹["टाउन एरिया"] का तात्पर्य किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र से जिसे ²[यू०पी० टाउन एरिया ऐक्ट, 1914] (यू०पी० ऐक्ट, संख्या 2, 1914) की धारा 3 के अधीन टाउन एरिया घोषित या परिभाषित किया गया हो;
- (न) "न्यायाधिकरण" का तात्पर्य धारा 64 के अधीन संघटित न्यायाधिकरण से है;
- (प) "इकाई" का तात्पर्य धारा 9 के अधीन स्थापित आवास इकाई से है; और
- (फ) "खण्ड (घ), (छ) तथा (ज) के अतिरिक्त किसी "नगर" या नगर पालिका का उल्लेख उस नगर या नगर पालिका की सीमाओं के बाहर पांच किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले क्षेत्रों का उल्लेख भी समझा जायेगा।

अध्याय 2

परिषद् की स्थापना और उसका कार्य-संचालन

3. परिषद् का संघटन.—(1) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके एक परिषद् स्थापित करेगी जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् कहलायेगी।

(2) परिषद् उपर्युक्त नाम से, शाश्वत उत्तराधिकार वाली एक निगमित निकाय होगी और उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा वह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगी तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, वह सम्पत्ति का अर्जन करने, धारण करने और निस्तारण करने तथा संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सभी आवश्यक कार्य करने के लिये सक्षम होगी।

(3) लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894, (ऐक्ट संख्या 1, 1894 ऐक्ट संख्या 9, 1914) तथा लोकल अथारिटीज लोन्स ऐक्ट, 1914 और तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के प्रयोजनों के लिये परिषद् को स्थानीय प्राधिकारी समझा जायेगा।

(4) परिषद् का प्रधान कार्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर होगा तथा प्रत्येक इकाई के मुख्यालय पर भी एक कार्यालय होगा और ऐसे अन्य स्थानों पर भी कार्यालय हो सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे या जिनके लिये राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया जाये।

³[(5) परिषद् में निम्नलिखित होंगे,—

⁴["(क) मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश—अध्यक्ष, पदेन,

(क-1) प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार—कार्यकारी अध्यक्ष/सदस्य, पदेन"]

(ख) तीन उपाध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अशासकीय सदस्य होंगे,

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार—पदेन सदस्य,

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार—पदेन सदस्य,

(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार—पदेन सदस्य,

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा अब नगर पंचायत है।

2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 1994 द्वारा अब नगर पंचायत है।

3. उ०प्र० अधिनियम संख्या 11 सन् 2007 द्वारा उपधारा (5), (6) और (7) प्रतिस्थापित (15 जून, 2007 से प्रभावी)।

4. नियम 3 उपनियम (5) खण्ड (क) और (क-1) उ०प्र० अधिनियम संख्या 7 सन् 2010 द्वारा प्रतिस्थापित जो उ०प्र० असाधारण गजट भाग-1, खण्ड (क), दिनांक 2 मार्च 2010 को प्रकाशित हुआ।

- (च) मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश—पदेन सदस्य,
- (छ) निदेशक, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रुड़की—पदेन सदस्य,
- (ज) आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्—पदेन सदस्य,
- (झ) मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्—पदेन सदस्य,
- (ञ) वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्—पदेन सदस्य,
- (ट) मुख्य वास्तुविद नियोजक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्—पदेन सदस्य,

¹[(6) खण्ड (ग), खण्ड (घ), खण्ड (ङ) खण्ड (छ) में अभिदिष्ट अधिकारी परिषद् की किसी बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय अपने विभाग में, अपने से ठीक बाद वाले उपलब्ध कनिष्ठ अधिकारी को बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने और मतदान करने का भी अधिकारी होगा।

²[(7) खण्ड (ख) में अभिदिष्ट उपाध्यक्ष की नियुक्ति को गजट में विज्ञापित किया जायेगा।

³[(8) कार्यकारी अध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके अनुमोदन से अध्यक्ष के कृत्यों का निष्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा,“

4. ⁴[उपाध्यक्ष] आदि होने के लिये अनर्हताएं.—कोई भी व्यक्ति परिषद् का [उपाध्यक्ष] चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्हित होगा, यदि वह—

- (क) नैतिक पतन समन्वित अपराध के लिए सिद्ध दोष हुआ हो;
- (ख) अनुन्मत्त दिवालिया हो;
- (ग) विकृत-चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया गया हो;
- (घ) धारा 6 से 7 में की गयी व्यवस्था को छोड़कर, परिषद् के अधीन किसी लाभप्रद पद पर हो;
- (ङ) स्वयं या किसी साझेदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी संविदा या सेवायोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या स्वत्व हो; या
- (च) किसी ऐसी कम्पनी का निदेशक या सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो जिसका परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गयी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या स्वत्व हो;

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ङ) या खण्ड (च) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इस कारण से अनर्हित नहीं होगा कि उसका या उस कम्पनी का, जिसका कि वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी है, निम्नलिखित में कोई अंश या स्वत्व है—

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 11 सन् 2007 द्वारा उपधारा (5), (6) और (7) प्रतिस्थापित (15 जून, 2007 से प्रभावी)।
2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 11 सन् 2007 द्वारा उपधारा (5), (6) और (7) प्रतिस्थापित (15 जून, 2007 से प्रभावी)।
3. उपनियम (8) उ०प्र० अधिनियम संख्या 7 सन् 2010 द्वारा अन्तःस्थापित जो उ०प्र० असाधारण गजट भाग 1, खण्ड (क), दिनांक 2 मार्च, 2010 को प्रकाशित हुआ।
4. उ०प्र० अधिनियम संख्या 11 सन् 2007 द्वारा शब्द “अध्यक्ष या सदस्य” के स्थान पर शब्द “उपाध्यक्ष” प्रतिस्थापित (15 जून, 2007 से प्रभावी)।

- (1) किसी अचल सम्पत्ति की बिक्री, क्रय, उसे पट्टे पर देना या उसके विनिमय अथवा उसके लिये किये गये किसी अनुबन्ध;
- (2) धनराशि के ऋण के लिए किसी अनुबन्ध या केवल धनराशि के भुगतान के लिए किसी प्रतिभूति;
- (3) किसी समाचार-पत्र जिसमें परिषद् के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रकाशित किया जाता हो;
- (4) किसी एक वर्ष में दस हजार रुपये से अनधिक मूल्य की परिषद् को किसी ऐसी वस्तु की यदा-कदा बिक्री जिसमें वह या कम्पनी नियमित व्यापार करती हो।

स्पष्टीकरण—किसी व्यक्ति का किसी ऐसी कम्पनी में, जिसका परिषद् के साथ या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से की गयी किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या स्वत्व हो, केवल अंशधारी होने के कारण, स्वयं का ऐसा अंश या स्वत्व नहीं समझा जायेगा।

1[5. उपाध्यक्ष का कार्यकाल.—(1) उपाध्यक्ष, तीन वर्ष के लिए पद धारण करेगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके उसका कार्यकाल पहले ही समाप्त न कर दिया जाये।

(2) उपधारा, किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित करके, स्वयं लिखित प्रार्थना-पत्र देकर अपना पद त्याग कर सकता है और ऐसे त्याग-पत्र के स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

2[6. उपाध्यक्ष पद के सम्बन्ध में व्यवस्था.—उपाध्यक्ष को परिषद् की निधि से, ऐसा पारिश्रमिक दिया जायेगा, जैसा विहित किया जाये।

7. आवास आयुक्त के सम्बन्ध में व्यवस्था.—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक आवास आयुक्त होगा जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी।

(2) आवास आयुक्त की सेवा सम्बन्धी शर्तें वही होंगी जो नियत की जायें। उसे पारिश्रमिक परिषद् की निधि से दिया जायेगा।

(3) राज्य सरकार, यदि उसकी यह राय हो कि विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसा करना अपेक्षित है तो, आवास आयुक्त को, उसके कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

(4) राज्य सरकार, आवास आयुक्त को तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन कोई प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है।

8. अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति.—³[(1) यद्यपि इस प्रकार के नियंत्रण, प्रतिबंध, जोकि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा सामान्य आदेश अथवा विशेष आदेश द्वारा लागू किये जाते हैं। परिषद् कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये यदि आवश्यक समझता है तो इस प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकता है।

(2) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी के किसी सेवक को अपने अधीन किसी पद पर ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर नियुक्त कर सकती है जो तय हों।

1. धारा 5 और 6, उ०प्र० अधिनियम संख्या 11 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित (15 जून, 2007 से प्रभावी)।

2. धारा 5 और 6, उ०प्र० अधिनियम संख्या 11 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित (15 जून, 2007 से प्रभावी)।

3. उ०प्र० अधिनियम संख्या 47 सन् 1976 द्वारा उपधारा (1) प्रतिस्थापित।

9. इकाईयाँ.—(1) परिषद् संकल्प द्वारा किसी नगर के लिए और, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, किसी अन्य क्षेत्र में अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण संपादन करने के निमित्त उस क्षेत्र के लिये आवास इकाई स्थापित कर सकती है।

(2) प्रत्येक इकाई परिषद् के अधिष्ठान का भाग होगी और उसमें वे अधिकारी तथा सेवक होंगे जो परिषद् द्वारा आवश्यक समझे जायें।

(3) प्रत्येक इकाई एक अधिकारी के प्रभार में होगी जो आवास आयुक्त के प्रशासकीय नियंत्रण में होगा और वह ऐसे अधिकारों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का सम्पादन भी करेगा जो उपधारा 12 के अधीन प्रतिनिहित किये जायें।

(4) जहां तक सम्भव हो और नियमों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक इकाई की आय तथा व्यय का लेखा पृथक् रूप से रखा जायेगा और किसी एक इकाई की बचतें केवल उसी क्षेत्र पर व्यय की जायेंगी जिससे वह इकाई सम्बन्धित हो।

10. आवास समितियाँ.—(1) राज्य सरकार किसी इकाई के लिये स्थानीय परामर्शदात्री समिति संघटित कर सकती है जो आवास समिति कहलायेगी और उसमें एक अध्यक्ष तथा अन्य ऐसे सदस्य और ऐसी शर्तों पर होंगे जो नियत किये जायें।

(2) (क) किसी नगर की दशा में, उसकी नगरपालिका का नगर प्रमुख;

(ख) किसी म्युनिसिपैलिटी की दशा में, उस नगरपालिका का प्रेसीडेंट;

(ग) किसी अन्य क्षेत्र की दशा में, (जिसमें कोई म्युनिसिपैलिटी अथवा उसका भाग भी सम्मिलित हो सकता है) किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी का कोई प्रेसीडेंट अथवा चेयरमैन, जिसका उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार हो, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाये, आवास समिति का अध्यक्ष होगा।

(3) परिषद् सम्बद्ध आवास समिति से उन विषयों पर परामर्श करेगी जो नियत किये जायें और किसी अन्य विषय पर भी वह परामर्श कर सकती है।

11. आवास आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण.—इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आवास आयुक्त परिषद् के समस्त अधिकारियों तथा सेवकों पर पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखेगा।

12. अधिकारों का प्रतिनिधान.—(1) इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त के अथवा ऐसी शर्तों के अधीन जिसमें अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी हो सकती है, और जो आदेश में निर्दिष्ट की जाये, अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति या आवास आयुक्त अथवा परिषद् के किसी अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं ऐसे अधिकारों तथा कर्तव्यों को प्रतिनिहित कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(2) इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए आवास आयुक्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त के अथवा ऐसी शर्तों के अधीन जिनमें अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी हो सकती है और जो आदेश में निर्दिष्ट की जायें, परिषद् के किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं ऐसे अधिकारों तथा कर्तव्यों को, जो उपधारा

(1) के अधीन प्रतिनिहित अधिकार और कर्तव्य न हो, प्रतिनिहित कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

13. स्वत्व होने के कारण कार्यवाहियों में भाग लेने से अनर्हता.—(1) परिषद् या किसी आवास समिति या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई सदस्य—

(क) जिसका किसी मामले के संबंध में धारा 4 के खण्ड (ड) या

(ख) में वर्णित प्रकार का कोई अंश या स्वत्व हो, या जिसने किसी मामले के संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से व्यावसायिक रूप से काम किया हो जिसका उस मामले में पूर्वोक्त प्रकार का कोई अंश या स्वत्व हो,

धारा 4 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् आवास समिति या समिति की ऐसे मामले से सम्बद्ध किसी कार्यवाही में न तो मत देगा और न भाग लेगा।

(2) यदि परिषद्, आवास समिति या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति के किसी सदस्य का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी किसी भी योजना में समाविष्ट किसी क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भूमि में, या किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव हो, कोई स्वत्व हो, तो वह परिषद् आवास समिति या समिति की किसी ऐसी बैठक में भाग नहीं लेगा जिसमें ऐसी भूमि से सम्बद्ध किसी मामले पर विचार किया जाए।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) की कोई बात परिषद्, आवास समिति या समिति के किसी सदस्य को, उक्त उपधाराओं में अभिदिष्ट विषय से भिन्न किसी अन्य विषय से सम्बद्ध किसी संकल्प या प्रश्न पर मत देने या उसकी चर्चा में भाग लेने से निषिद्ध नहीं करेगी।

14. अनौपचारिकता, रिक्ति आदि के कारण किये गये कार्य अवैध नहीं होंगे.—परिषद् किसी आवास समिति या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही केवल निम्नलिखित के कारण अवैध न होगी—

(क) परिषद् आवास समिति या समिति में कोई रिक्ति या उसके संघटन में कोई दोष होने; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, कोई दोष या अनियमितता होने; या

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई दोष या अनियमितता होने, जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो।

अध्याय-3

परिषद् के कृत्य और अधिकार

15. परिषद् के कृत्य.—(1) इस अधिनियम और नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् के निम्नलिखित कृत्य होंगे—

(क) आवास और सुधार योजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं का बनाना और उन्हें निष्पादित करना;

(ख) राज्य में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना और उन्हें समन्वित करना तथा राज्य में आवास और सुधार योजनाओं का शीघ्र तथा कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

- (ग) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त आवास और सुधार योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्राविधिक कि परामर्श देने की व्यवस्था करना और उनकी जांच करना;
- (घ) राज्य सरकार की ऐसी अचल सम्पत्तियों का प्रबन्ध हाथ में लेना जो इस प्रयोजन के लिए उसे संक्रमित की जाय या सौंपी जाय;
- (ङ) परिषद् के या परिषद् के नियंत्रण और प्रबन्ध में सौंपे गये राज्य सरकार के प्लाटों, भवनों तथा अन्य सम्पत्तियों का अनुरक्षण, उपयोग, अलाट करना, पट्टे पर देना या अन्य प्रकार से संक्रमण;
- (च) इमारती सामानों का निर्माण करने तथा उनको जमा करने के लिए वर्कशाप और स्टोर्स संगठित करना और उन्हें चलाना;
- (छ) किसी योजना के अधीन निर्मित गृहों को ऐसी शर्तों पर जो परिषद् व राज्य सरकार के बीच तय हों उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1955) के अधीन गृह घोषित करना;
- (ज) भवन संबंधी निर्माण-कार्यों को विनियमित करना;
- (झ) मलिन बस्तियों का सुधार और निपातन;
- (ञ) परिषद् द्वारा विकसित क्षेत्रों में सड़क, विद्युत, स्वच्छता, जल सम्भरण तथा अन्य नागरिक सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना;
- (ट) पूर्वोक्त किन्ही भी प्रयोजनों के लिए चल अथवा अचल सम्पत्ति अर्जित करना;
- (ठ) ऊपर लिखे किन्ही भी प्रयोजनों के लिए बाजार से ऋण लेना, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों और अन्य सार्वजनिक निगमों से अनुदान और ऋण लेना, तथा स्थानीय प्राधिकरणों, अन्य सार्वजनिक निगमों, आवास सहकारी समितियों और अन्य व्यक्तियों को अनुदान तथा ऋण देना;
- (ड) किसी सम्पत्ति की जांच, परीक्षा या सर्वेक्षण करना या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा की गयी ऐसी जांच परीक्षा या सर्वेक्षण के व्यय में योगदान करना;
- (ढ) आसुधार शुल्क लगाना;
- (ण) इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन आरोपित किसी अन्य दायित्व को पूरी करना; और
- (त) ऊपर लिखे कृत्यों का सम्पादन करने के लिए अन्य समस्त आवश्यक कार्यों को करना।

(2) इस अधिनियम तथा विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, परिषद् यदि आवश्यक समझे तो निम्नालिखित कृत्यों में से कोई कृत्य कर सकती है, अर्थात्—

- (क) भवनों के शीघ्र निर्माण और उनके व्यय को कम करने के लिए अन्वेषण कार्य को बढ़ावा देना;

- (ख) सार्वजनिक संस्थाओं, स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य सार्वजनिक निगमों तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों की ओर से राज्य में निर्माण कार्य निष्पादित करना;
- (ग) इमारती सामानों की बिक्री, और उनका सम्भरण करना;
- (घ) इमारती सामानों के उत्पादन का समन्वय, सरलीकरण और स्तरीकरण करना तथा संरचनात्मक भागों की पूर्व-गढ़ाई (प्रीफैब्रिकेट करना) और बड़े पैमाने पर उनके उत्पादन को प्रोत्साहित तथा संगठित करना;
- (ङ) किसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया में और उसके आस-पास की जनता को गमनागमन की सुविधा देने के उद्देश्य से किसी परिवहन सेवा की स्थापना, उसका अनुरक्षण और परिचालन करना, सड़कों और पुलों को बनाना, चौड़ा करना, सुदृढ़ बनाना या उनका अन्य प्रकार से सुधार करना तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए दूसरों को वित्तीय सहायता देना;
- (च) ऊपर लिखे कृत्यों का सम्पादन करने के लिये अन्य समस्त आवश्यक कार्यों को करना।

16. परिषद् द्वारा आवास या सुधार योजना कब बनायी जायेगी.—(1) परिषद् स्वतः अथवा स्थानीय प्राधिकारी के कहने पर आवास या सुधार बना सकती है और राज्य सरकार के ऐसा निदेश देने पर अवश्य बनायेगी।

(2) स्थानीय प्राधिकारी के कहने पर किसी आवास या सुधार योजना को बनाने से और उसका निष्पादन करने से परिषद् इनकार कर सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसी योजना अनावश्यक है अथवा व्यवहार्य नहीं है या ऐसी योजना को बनाने और उसका निष्पादन करने के लिए उसके पास निधि नहीं है और इस प्रकार अस्वीकार करने की सूचना वह उक्त प्राधिकारी को देगी। परिषद् किसी योजना के बनाये जाने हेतु स्थानीय प्राधिकारी की प्रार्थना मिलने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर अपने निर्णय की सूचना देगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन परिषद् की अस्वीकृति से क्षुब्ध कोई स्थानीय प्राधिकारी सूचना प्राप्त होने के दिनांक से दो मास से भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है जो उस पर ऐसा आदेश दे सकती है जो वह उचित समझे और परिषद् ऐसे आदेशों का पालन करेगी।

17. विषय जिनकी व्यवस्था आवास या सुधार योजनाओं में की जायेगी.—तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी तथा इस अध्याय के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी आवास या सुधार योजना में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी एक के लिए व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

- (क) योजना के लिए आवश्यक अथवा उसके निष्पादन से प्रभावित होने वाली किसी सम्पत्ति का क्रय, विनिमय या अन्य प्रकार से अर्जन;
- (ख) योजना में समाविष्ट किसी भूमि का विन्यास या पुनर्विन्यास;
- (ग) योजना में समाविष्ट सम्पत्ति के स्वामियों के स्थलों का वितरण या पुनर्वितरण;
- (घ) मानव निवास के लिए अनुपयुक्त निवास-स्थानों या निवास-स्थानों के भागों का सुधार या निपातन;
- (ङ) प्रस्तावित विन्यास में बाधा डालने वाले भवन या भवनों के भागों को गिराना;

- (च) भवनों का निर्माण या पुर्ननिर्माण;
- (छ) योजना में समाविष्ट किसी सम्पत्ति का विक्रय, (जिसमें किराया किस्त के आधार पर बेचना भी शामिल है) पट्टे पर देना या विनिमय;
- (ज) मार्गों, सड़कों, गलियों, पुलों पुलियों या नदी-नालों पर पक्के पथों का निर्माण या उनमें परिवर्तन;
- (झ) योजना में सम्मिलित सड़कों पर जलोत्सारण, जल-सम्भरण या रौशनी की व्यवस्था;
- (ञ) योजना में समाविष्ट किसी क्षेत्र के या किसी मिले हुए क्षेत्र के लाभार्थ विद्यालयों, सामुदायिक भवनों, पार्कों, (जिसमें बच्चों के पार्क भी शामिल हैं), तैरने के तालाबों, खेल के मैदानों, खुले स्थानों और उप मार्गों की व्यवस्था;
- (ट) योजना में समाविष्ट क्षेत्र के लिए अपेक्षित सफाई का प्रबन्ध करना, जिसके अन्तर्गत नदियों या जल-सम्भरण के अन्य स्रोतों तथा साधनों का संरक्षण तथा उन्हें क्षति पहुँचाने या दूषित होने से बचाना भी है;
- (ठ) किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के लिए निवास-स्थान की व्यवस्था;
- (ड) संचार और परिवहन संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था;
- (ढ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सूचना और आंकड़े एकत्रित करना;
- (ण) बाजारों, व्यापारिक एवं औद्योगिक स्थलों, बगीचों, खेल के मैदानों और वृक्षरोपण के लिए भूमि का सुधार, विकास या आरक्षण;
- (त) योजना में समाविष्ट क्षेत्र में उपाहार गृहों, दूकानों, बाजारों, ईधन के डिपों, धुलाई-गृहों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था;
- (थ) योजना के प्रयोजनों के लिए ऋण देने; और
- (द) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाये;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई योजना, यथाशक्य, सत्समय प्रचलित महायोजना के, यदि कोई हो, अनुरूप होगी।

18. आवास और सुधार योजनाओं के प्रकार.—(1) आवास या सुधार योजना निम्नलिखित प्रकारों से किसी एक प्रकार की होगी, अथवा उसमें ऐसे दो या अधिक प्रकारों का सम्मिश्रण होगा या उसमें उनकी विशेष बातें होगी; अर्थात्—

- (क) गृह स्थान योजना;
- (ख) मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना;
- (ग) पुनर्वास योजना;
- (घ) सड़क योजना;
- (ङ) भावी सड़क योजना;
- (च) प्रसार योजना;
- (छ) भूमि विकास योजना;
- (ज) बाजार योजना;
- (झ) बाढ़ योजना;

(2) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों पर, जो वह परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, आरोपित करना उचित समझे, परिषद् को उपधारा (1) में अनिर्दिष्ट प्रकार की किसी आवास या सुधार योजना को हाथ में लेने का निदेश दे सकती है।

19. गृह स्थान योजना.—(1) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि किसी क्षेत्र में गृह-स्थान की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा करना इष्टकर या आवश्यक है, तो परिषद् गृह स्थान योजना बना सकती है।

(2) ऐसी योजना में उस क्षेत्र के विन्यास का उल्लेख होगा जहाँ पर गृहों का निर्माण किया जाना हो और उसमें परिषद् तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा गृह-निर्माण करने की व्यवस्था की जा सकती है।

(3) परिषद् अपने द्वारा इस प्रकार बनाये गये किसी गृह को पट्टे पर दे सकती है या बेच सकती है, जिसमें, किराया किस्त के आधार पर बेचना भी सम्मिलित है।

(4) परिषद् उस क्षेत्र में मार्गों, सड़कों, जलोत्सारण, जल-सम्भरण, सड़कों पर रोशनी, सामुदायिक भवनों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर सकती है।

20. मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना.—(1) जब कभी परिषद् को यह प्रतीत हो कि—

(क) किसी क्षेत्र में, निवास-स्थान के रूप में प्रयुक्त या प्रयुक्त किये जाने के लिये अभिप्रेत अथवा संभाव्य कोई भवन मानव निवास के लिए अनुपयुक्त हैं, या

(ख) किसी क्षेत्र में—

(1) सड़कों, भवनों अथवा भवनों के समूहों, की संकीर्णता, समीपता या दोषपूर्ण व्यवस्था अथवा प्ररचना या दशा होने, या

(2) अति घनी आबादी होने, या

(3) प्रकाश, वायु, वातायन या यथोचित सुविधाओं का अभाव होने, या

(4) कोई अन्य स्वच्छता संबंधी दोष होने,

से उस क्षेत्र के अथवा पास-पड़ोस के निवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या सदाचार संकट में पड़ने की संभावना है तो परिषद् उस क्षेत्र के संबंध में मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना बना सकती है।

(2) ऐसी योजना में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) उस क्षेत्र में मार्गों, सड़कों, गलियों और खुले स्थानों तथा अन्य सुविधाओं के लिए स्थलों का आरक्षण तथा निर्माण और उनके लिए व्यवस्था तथा विद्यमान मार्गों, सड़कों गलियों, खुले स्थानों और अन्य सुविधाओं में परिवर्धन;

(ख) क्षेत्र के स्थलों का पुनर्विन्यास;

(ग) परिषद् द्वारा क्षेत्र में स्थित किसी स्थल या भवन का अर्जन;

(घ) क्षेत्र में भूमियों और भवनों के संबंध में सुधार कार्य करना और उनका अनुसंधान करना;

(ङ) क्षेत्र में भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण को या परिवर्तन को अथवा परिवर्द्धन को विनियमित करना;

- (च) क्षेत्र के स्थलों पर विद्यमान और उनके उपबन्धों में परिवर्तन करना या उन्हें, गिराना;
- (छ) क्षेत्र के स्थलों पर गृहों तथा अन्य भवनों का निर्माण;
- (ज) योजना के अनुसार विद्यमान भवनों का निर्माण करने या उन में परिवर्तन करने अथवा नये भवनों का निर्माण करने के लिए स्वामियों को सहायता देने के उद्देश्य से उन्हें ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर अग्रिम धन देना जिनकी व्यवस्था योजना के अन्तर्गत की जाये।

21. पुनर्वास योजना.—जब कभी परिषद् की यह राय हो कि ऐसे व्यक्तियों के लिये गृह-स्थान की व्यवस्था करना आवश्यक है—

- (क) जो इस अधिनियम के अधीन किसी आवास या सुधार योजना के निष्पादन से विस्थापित हो गये हों अथवा जिनके विस्थापित होने की सम्भावना हो, या
- (ख) जिन्हें किसी क्षेत्र की घनी आबादी की कम करने के लिए उस क्षेत्र से हटाना आवश्यक हो, तो परिषद् मार्गों, सड़कों और खुले स्थानों के सहित ऐसे निवास-स्थानों और दुकानों के निर्माण, अनुरक्षण और प्रबन्ध के लिए अथवा ऐसे खुले प्लॉटों की व्यवस्था करने के लिये जो आवश्यक समझे जायें, पुनर्वास योजना बना सकती है।

22. सड़क योजना.—(1) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि—

- (क) भवन निर्माण के स्थलों की व्यवस्था करने, या
- (ख) दोषपूर्ण वातायन को ठीक करने या
- (ग) नये संचार साधन स्थापित करने अथवा विद्यमान संचार साधनों और यातायात की सुविधाओं में सुधार करने, या
- (घ) मलवाहन के लिए अच्छी सुविधाएं देने, के लिए किसी क्षेत्र में नई सड़कें बनाना या विद्यमान सड़कों में (जिसमें पुल, पक्का नदी पथ और पुलिया भी सम्मिलित हैं) परिवर्तन करना इष्टकर है, तो परिषद् ऐसे क्षेत्र के लिए सड़क योजना बना सकती है।

(2) योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर ऐसी योजना में निम्नलिखित विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

- (क) किसी ऐसी भूमि का अर्जन, जो परिषद् की राय में योजना के लिए आवश्यक हो;
- (ख) इस प्रकार अर्जित की गयी सभी या किसी भूमि का पुनर्विन्यास, जिसमें परिषद् द्वारा या परिषद् द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा भवनों का निर्माण और पुनर्निर्माण भी सम्मिलित है तथा सड़कों और जलमार्गों का विन्यास, निर्माण और परिवर्तन;
- (ग) इस प्रकार विन्यासित, निर्मित या परिवर्तित सड़कों तथा जलमार्गों पर जलोत्सारण, जल-सम्भरण और रोशनी की व्यवस्था;
- (घ) योजना के प्रयोजनों के लिए परिषद् में निहित या उसके द्वारा अर्जित किसी भूमि का सुधार अथवा उसकी सतह को ऊँचा या नीचा करना; और
- (ङ) योजना में समाविष्ट क्षेत्र के लिए अपेक्षाकृत अच्छे वातायन के निमित्त खुले स्थानों की व्यवस्था।

23. भावी सड़क योजना.—(1) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि किसी सड़क को उसके विद्यमान संरेखण का परिवर्तन करके भविष्य में चौड़ा करने के लिए व्यवस्था करना आवश्यक है, किन्तु प्रस्तावित उन्नत संरेखण के भीतर आने वाली सभी या किसी सम्पत्ति को तुरन्त अर्जित करना आवश्यक नहीं है तो परिषद् एक भावी सड़क योजना बना सकती है, जिसमें सड़क के दोनों ओर का संरेखण निर्धारित किया जायेगा और उस योजना को निष्पादित करने के लिए कालावधि निर्दिष्ट होगी, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा बढ़ायी जा सकती है;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कालावधि परिषद् द्वारा उस बढ़ायी गयी अवधि को, यदि कोई हो, सम्मिलित करके, किसी भी दशा में योजना के प्रचलित होने के दिनांक से बीस वर्ष से अधिक न होगी।

(2) ऐसी योजना में निम्नलिखित विषयों के लिए व्यवस्था की जायेगी अर्थात्—

(क) योजना के निष्पादन के लिए कालावधि के भीतर निर्धारित सड़क-संरेखण के अन्तर्गत आने वाली किसी सम्पूर्ण या उसके किसी भाग का अर्जन;

(ख) परिषद् या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सभी अथवा किसी सम्पत्ति का पुनर्विन्यास, जिसमें भवनों का निर्माण और पुनर्निर्माण भी सम्मिलित है तथा सड़क का निर्माण व संरेखण; और

(ग) इस प्रकार निर्मित या परिवर्तित सड़कों पर जलोत्सारण, जलसम्भरण और रोशनी की व्यवस्था।

(3) ऐसी योजना प्रचलित हो जाने के बाद—

(क) परिषद् की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना, कोई व्यक्ति योजना के निष्पादन की कालावधि के भीतर, किसी भवन का इस प्रकार निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन या परिवर्तन नहीं करेगा, जिससे कि निर्धारित संरेखण में कोई अतिक्रमण हो जाये;

(ख) यदि परिषद् सड़क के निर्धारित संरेखण के भीतर स्थित किसी सम्पत्ति का अर्जन न करे या उसके अर्जन के लिए कार्यवाही न करे तो ऐसी सम्पत्ति का स्वामी, उक्त योजना के निष्पादन की कालावधि के भीतर या उसके बाद तीन वर्ष के भीतर किसी समय परिषद् को इस बात का नोटिस दे सकता है कि नोटिस के दिनांक से छः मास के भीतर ऐसी सम्पत्ति का अर्जन करे अथवा अर्जन के लिए कार्यवाही करे, और तदुपरान्त परिषद् उस सम्पत्ति को अनुबन्ध द्वारा अर्जित करेगी, अथवा खण्ड (ग) के अधीन नोटिस द्वारा ऐसी कार्यवाही करेगी और तदनुसार उक्त सम्पत्ति का अर्जन करेगी; और यदि परिषद् ऐसा न करे तो वह इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार अवधारित प्रतिकर का भुगतान करेगी;

(ग) सड़क के निर्धारित संरेखण के भीतर आने वाली किसी सम्पत्ति का अर्जन करने के लिए कार्यवाही करने के पूर्व परिषद् (1) ऐसी किसी सम्पत्ति के संबंध में, जिसके लिए उसे खण्ड (ख) के अधीन नोटिस मिला हो, पन्द्रह दिन का नोटिस; और (2) अन्य सम्पत्ति के संबंध में छः मास की नोटिस, ऐसी सम्पत्ति के स्वामी को उस सम्पत्ति का अर्जन करने के अभिप्राय का देगी;

(घ) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, 1959) यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, (यू०पी० ऐक्ट संख्या 2, 1916) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 33, 1961) या किसी ऐसे अन्य अधिनियम में, जिससे किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें इस धारा के अधीन कोई योजना विज्ञापित की गयी हो, स्थानीय प्राधिकारी का संघटन किया गया हो, किसी बात के होते हुए भी, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को योजना में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर सड़क के किसी संरक्षण को निर्धारित या नियत करने का अधिकार न होगा और ऐसी सीमाओं के भीतर पहले से निर्धारित या नियत किया गया कोई ऐसा संरक्षण प्रभावी नहीं रहेगा।

24. प्रसार योजना.—(1) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि किसी नगर, म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया का भविष्य में प्रसार या विकास करने पर नियन्त्रण और उसकी व्यवस्था करना इष्टकर है, तो परिषद् प्रसार योजना बना सकती है और उक्त योजना के निष्पादन के लिए समय सीमा निर्दिष्ट करेगी जो परिषद् द्वारा समय-समय पर बढ़ायी जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समय सीमा, जिसके अन्तर्गत परिषद् द्वारा बढ़ायी गयी समय सीमा, यदि कोई हो, भी है किसी भी दशा में योजना के प्रचलित होने के दिनांक से बीस वर्ष से अधिक न होगी।

(2) ऐसी योजना में विकसित किये जाने वाले क्षेत्र का प्रस्तावित विन्यास और वे प्रयोजन निर्दिष्ट किये जायेंगे जिनके लिए उसके विशिष्ट भागों का उपयोग किया जायेगा।

(3) ऐसी किसी योजना के प्रचलित हो जाने के पश्चात्, परिषद् की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना कोई व्यक्ति, योजना में समाविष्ट क्षेत्र के भीतर किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन या परिवर्तन नहीं करेगा।

(4) यदि किसी व्यक्ति को उपर्युक्त क्षेत्र में अपनी भूमि पर किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन या परिवर्तन करने की अनुज्ञा देने से परिषद् इनकार करे, और इस प्रकार की अस्वीकृति के दिनांक से एक वर्ष के भीतर उस भूमि का अर्जन करने के लिए कार्यवाही न करे तो परिषद् उस व्यक्ति को, ऐसी अस्वीकृति के परिणामस्वरूप हुई किसी क्षति के लिए ऐसा प्रतिकर देगी जो इस अधिनियम और नियमों के अधीन अवधारित किया जाये :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि परिषद् तदर्थ यथाविधि प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति से तीन महीने के भीतर न तो उपर्युक्त अनुज्ञा दे और न अनुज्ञा देने से इनकार करे तो ऐसी अवधि की समाप्ति के दिनांक को अनुज्ञा देने के इनकार करना समझा जायेगा।

25. भूमि विकास योजना.—(1) जब कभी परिषद् की यह राय हो कि किसी क्षेत्र में भवन-निर्माण के लिए स्थलों की व्यवस्था करना इष्टकर है तो परिषद् भूमि विकास योजना बना सकती है।

(2) ऐसा योजना में विकसित किये जाने वाले क्षेत्र का प्रस्तावित विन्यास और वे प्रयोजन निर्दिष्ट किये जायेंगे जिनके लिए उनके विशिष्ट भागों का उपयोग किया जायेगा।

(3) योजना में समाविष्ट क्षेत्र के लिए परिषद् मार्गों, सड़कों, खुले स्थानों, जलोत्सारण, जल-सम्भरण, सड़क पर स्थानों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर सकती है।

(4) योजना में समाविष्ट क्षेत्र में परिषद् भवन-निर्माण के स्थलों को पट्टे पर दे सकती है या बेच सकती है जिसमें किराया किश्त के आधार पर बेचना भी सम्मिलित है।

26. बाजार योजना.—(1) जब कभी परिषद् को यह प्रतीत हो कि किसी क्षेत्र में क्रय-विक्रय, दुकानों से समान खरीदने या वाणिज्य की पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं या उत्पादकों, बैंकरों, व्यापारियों, व्यावसायिक वर्ग के सदस्यों, उपभोक्ताओं, ग्राहकों या कार्यार्थियों के लिए विद्यमान बाजार या व्यावसायिक अथवा वाणिज्य अधिष्ठान असुविधाजनक हैं, या विद्यमान बाजारों अथवा वाणिज्यिक या व्यावसायिक केन्द्रों में अन्यथा सुधार या परिवर्तन करना अथवा उन्हें गिराना या किसी क्षेत्र में नये बाजारों अथवा केन्द्रों का विन्यास करना इष्टकर है, तो परिषद् उस क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए बाजार योजना बना सकती है।

(2) बाजार योजना में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

- (क) मंडियों, दूकानों, स्टालों, गोदामों, उपाहार-गृहों, सिनेमाओं, वाणिज्यिक गृहों, व्यावसायिक कार्यालयों, पेट्रोल पम्पों, यांत्रिक सेवा और मरम्मत करने के स्टेशनों, धुलाई-गृहों तथा अन्य अपेक्षित भवनों और संरचनाओं का निर्माण;
- (ख) मार्गों, सड़कों, गलियों, पार्श्व पथों, पार्कों और मोटर गाड़ियाँ खड़ी करने के स्थलों का बनाना, जल-सम्भरण, बस के अड्डों तथा साइकिल और अन्य गाड़ियों के अड्डों, शौचालयों, विज्ञान स्थलों भवना अन्य सेवाओं और सुविधाओं की व्यवस्था;
- (ग) योजना में सम्मिलित क्षेत्र में समाविष्ट किसी स्थल या भवन का परिषद् द्वारा अर्जन; और
- (घ) परिषद् द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को किसी बाजार का पूर्णतः या प्रबन्ध करने के लिए ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर संक्रमण जिन पर परिषद् व वह स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति सहमत हों।

27. बाढ़ योजना.—(1) जब कभी परिषद् को यह प्रतीत हो कि किसी क्षेत्र पर किसी नदी या नाले में बाढ़ आ जाने अथवा पानी इकट्ठा हो जाने के कारण प्रभाव पड़ा है अथवा उस पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो परिषद् उस क्षेत्र के लिए बाढ़ योजना बना सकती है।

(2) बाढ़ योजना में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

- (क) ऐसे गृहों और आवश्यक सम्पत्ति अधिष्ठानों की रक्षा के लिए, जिन पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा हो या पड़ने की संभावना हो, संरचनाओं का निर्माण;
- (ख) बाढ़ से क्षतिग्रस्त गृहों की मरम्मत या पुनर्निर्माण;
- (ग) संचित जल की निकासी के लिए नालियों और निर्गम मार्गों का निर्माण;
- (घ) किसी क्षेत्र की सतह ऊंची करना;
- (ङ) किसी क्षेत्र में स्थलों का पुनर्विन्यास;
- (च) योजना के लिए आवश्यक किसी क्षेत्र का अर्जन;
- (छ) किसी बाढ़ग्रस्त अथवा संकटापन्न स्थान के निवासियों को हटाना और उनके लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करना।

28. आवास एवं सुधार योजनाओं के लिए नोटिस.—(1) जब कोई आवास या सुधार योजना बना ली जाये तो परिषद् इस आशय का एक नोटिस तैयार करेगी, जिसमें निम्नलिखित बातें निर्दिष्ट की जायेगी—

- (क) योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाएं;
- (ख) दिनांक, समय और स्थान या स्थानों का उल्लेख, जब और जहां पर क्षेत्र का नक्शा, योजना का विवरण, तथा अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि और उस भूमि के ब्यौरे, जिसके संबंध में आसुधार शुल्क लगाने का प्रस्ताव है, देखे जा सकते हैं; और
- (ग) दिनांक, जब तक कि योजना के संबंध में आपत्तियां की जा सकती हैं।

(2) परिषद्—

- (क) उक्त नोटिस को सप्ताहवार लगातार तीन सप्ताह तक (1) गजट में, और (2) ऐसे दो दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का समाचार-पत्र होगा, प्रकाशित करायेगा, जिनका योजना में समाविष्ट क्षेत्र में परिचलन हो; और
- (ख) उक्त नोटिस की एक प्रतिलिपि ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या प्राधिकारियों को भेजे जिनके क्षेत्राधिकार के भीतर योजना में समाविष्ट क्षेत्र पड़ता हो।

(3) आवास आयुक्त उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट किसी लेख्य की प्रतिलिपि, किसी भी प्रार्थी को ऐसे शुल्क के भुगतान करने पर दिलायेगा जिसकी विनियमों द्वारा व्यवस्था की जाये।

29. प्रस्तावित अर्जन या आसुधार शुल्क लगाये जाने का नोटिस.—किसी आवास या सुधार योजना के संबंध में धारा 28 के अधीन किसी नोटिस के पहली बार प्रकाशित किये जाने के दिनांक से छः सप्ताह के भीतर, परिषद् ऐसे प्रपत्र में, उन व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों पर और ऐसी रीति से, जो नियत की जाये, नोटिस तामील करेगी, जिसमें इस बात का उल्लेख किया जायेगा कि परिषद् योजना के निष्पादन के लिए किसी निर्दिष्ट भूमि या भवन का अर्जन करने का अथवा आसुधार शुल्क लगाने का प्रस्ताव करती है।

30. आपत्तियाँ.—(1) कोई स्थानीय प्राधिकारी जिसे धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन नोटिस की एक प्रतिलिपि भेजी गयी हो, ऐसी प्रतिलिपि प्राप्त होने के दिनांक से साठ दिन के भीतर योजना के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(2) कोई व्यक्ति जिस पर धारा 29 के अधीन नोटिस तामील किया गया हो, नोटिस के तामील होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जिसकी परिषद् पर्याप्त कारण से अनुमति दे, योजना या प्रस्तावित अर्जन अथवा आसुधार शुल्क लगाये जाने के विरुद्ध परिषद् को लिखित आपत्ति कर सकता है।

(3) कोई अन्य व्यक्ति भी धारा 28 के अधीन नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर योजना के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

31. योजना का परित्याग, परिष्कार अथवा स्वीकृति.—(1) उपर्युक्त उपबंधों के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् और आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, परिषद् यथासंभव, ऐसी आपत्तियों की प्राप्ति के अन्तिम दिनांक से छः मास के भीतर या तो उस योजना का परित्याग कर सकती है, या, यदि योजना पर बीस लाख रुपये से अधिक अनुमानित व्यय न बैठता हो तो परिष्कारों सहित, अथवा परिष्कार रहित स्वीकृत कर सकती है, और यदि योजना पर बीस लाख रुपये से अधिक अनुमानित व्यय बैठता हो, तो उसे ऐसे परिष्कारों के साथ, यदि कोई हो, जिसका परिषद् सुझाव दे, स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकती है।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन उसे प्रस्तुत की गयी किसी योजना को परिष्कारों सहित, अथवा परिष्कार रहित स्वीकृत कर सकती है, या स्वीकृत करने से इन्कार कर सकती है, अथवा उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन पुनर्विचार के लिए वापस की गयी कोई योजना परिषद् द्वारा परिष्कृत कर दी जाये तो वह धारा 28 के अनुसार पुनः प्रकाशित की जायेगी—

(क) यदि परिष्कार के कारण योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं पर प्रभाव पड़ता हो अथवा जिसमें पूर्व प्रस्तावित अर्जन से भिन्न किसी भूमि या भवन को अर्जित करना अन्तर्ग्रस्त हो; या

(ख) यदि परिषद् की राय में परिष्कार इतने पर्याप्त महत्व का हो कि उसका पुनः प्रकाशन अपेक्षित हो, और ऐसा पुनः प्रकाशन हो जाने पर धारा 29 और 30 में नियत प्रक्रिया का, जहां तक प्रयोज्य हो, अनुसरण किया जायेगा मानो कि पुनः प्रकाशन धारा 28 के अधीन किया गया मूल प्रकाशन हो।

32. योजना का प्रारम्भ.—(1) जब कभी परिषद् या राज्य सरकार किसी आवास या सुधार योजना को स्वीकृत करे, तो उसे गजट में विज्ञापित किया जायेगा।

(2) किसी योजना के संबंध में उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति इस बात का निश्चायक प्रमाण होगी कि योजना यथाविधि बनायी और स्वीकृत की गई है।

(3) परिषद् की किसी आवास या सुधार योजना की स्वीकृति के निर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, या कोई स्थानीय प्राधिकारी, जिसने धारा 30 के अधीन आपत्तियां प्रस्तुत की हों, उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकती है जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन प्रस्तुत की गई किसी अपील के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार योजना को निरस्त कर दे अथवा उसमें परिवर्तन कर दे तो, निरसन या परिवर्तन गजट में विज्ञापित किया जायेगा।

(5) (क) यदि योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाय तो वह उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से प्रचलित होगी;

(ख) यदि योजना परिषद् द्वारा स्वीकृत की जाय तो :

(1) जब उपधारा (3) के अधीन कोई अपील प्रस्तुत न की गई हो, तो उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति पर; और

(2) जब अपील प्रस्तुत की गई हो और अपील पर योजना परिवर्तन सहित अथवा परिवर्तन रहित बनी रहे तो वह उस अपील के निर्णय के दिनांक से और यदि एक से अधिक अपीलों प्रस्तुत की गई हों तो अन्तिम निर्णीत अपील के निर्णय के दिनांक से प्रचलित होगी।

33. योजना प्रारम्भ होने के पश्चात् उसमें परिवर्तन.—(1) किसी आवास या सुधार योजना के प्रचलित हो जाने के पश्चात्, किन्तु उसके पूर्ण रूप से निष्पादित किये जाने के पूर्व किसी समय, परिषद् उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे उसमें परिवर्तन कर सकती है अथवा उसे निरस्त कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि—

- (क) यदि किसी परिवर्तन से किसी योजना के निष्पादक के संबंध में अनुमानित व्यय दस प्रतिशत से अधिक बढ़ने की संभावना हो, अथवा किसी परिवर्तित योजना पर बीस लाख रुपये से अधिक व्यय अनुमानित हो तो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा;
- (ख) कोई ऐसा परिवर्तन करने के पूर्व जिससे किसी भूमि या भवन का, जिसका मूल योजना के अन्तर्गत अर्जन करने का प्रस्ताव न हो, अनुबंध से भिन्न अर्जन अन्तर्गत हो, या जिसके कारण किसी ऐसी भूमि पर, जिस पर योजना के अन्तर्गत कोई आसुधार शुल्क का भुगतान देय न हो, ऐसा शुल्क देय हो जाय तो परिषद् प्रस्तावित परिवर्तन की एक नोटिस ऐसे प्रपत्र में और उन व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गों पर और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, तामील करेगी, और नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से 30 दिन अथवा ऐसी बढ़ायी गयी अवधि जिसके लिये परिषद् पर्याप्त कारण से अनुज्ञा दे, के भीतर नोटिस के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी तथा आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देगी;
- (ग) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना बीस लाख रुपये से अधिक अनुमानित व्यय की कोई योजना परिवर्तित या निरस्त नहीं जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी योजना में किया गया कोई परिवर्तन या निरस्तीकरण गजट में विज्ञापित किया जायेगा और वह विज्ञप्ति के दिनांक से इस प्रकार प्रभावी होगा कि किसी परिष्कार का मूल योजना के अन्तर्गत पहले से की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

34. योजना का निष्पादन.—

- (1) किसी आवास या सुधार योजना के प्रचलित हो जाने पर, परिषद् उसके निष्पादन के लिये तुरन्त कार्यवाही करेगी, और भावी सड़क योजना या प्रसार योजना की दशा में, योजना में निर्दिष्ट या उसके द्वारा बढ़ायी गयी अवधि के भीतर उसे पूरा करेगी। योजना का निष्पादन पूरा होने पर परिषद् गजट में तदर्थ घोषणा विज्ञापित करेगी।
- (2) उपधारा (1) की किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह परिषद् को किसी योजना के निष्पादन में राज्य सरकार के अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी अभिकरण (एजेन्सी) को उस सरकार या प्राधिकारी की सहमति से लगाने से निषिद्ध करती है।

35. ¹[योजना] के लिए प्रस्तावित या उसमें समाविष्ट क्षेत्र में भवन निर्माण करने पर निर्बन्धन.—²[आवास या सुधार योजना] के संबंध में धारा 28 के अधीन नोटिस प्रकाशित कर दिया गया हो, तो कोई व्यक्ति, जब तक कि योजना परित्यक्त या स्वीकृत न कर दी जाय, और यदि योजना प्रचलित हो तो, उसके प्रचलित होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 47 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 47 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

भीतर, योजना में, समाविष्ट क्षेत्र में किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्द्धन या परिवर्तन अथवा अन्य रूप से किसी भूमि का विकास योजना के विरुद्ध या ऐसी शर्तों व प्रतिबन्धों के प्रतिकूल जिन्हें आवास आयुक्त, तदर्थ अनुज्ञा के लिये प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर आदेश द्वारा आरोपित करे, न करेगा।

(2) आवास आयुक्त के उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा न देने अथवा शर्त या प्रतिबन्ध आरोपित करने के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, परिषद् को अपील कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

36. मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना के संबंध में विशेष अधिकार.—(1) किसी मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना के प्रचलित होने के पश्चात् किसी भी समय आवास आयुक्त, योजना में समाविष्ट क्षेत्र के संबंध में—

(क) किसी भवन या भूमि के स्वामी पर नोटिस तामील कर सकता है, जिसमें इस बात की अपेक्षा की जाये कि ऐसे उचित समय के भीतर, जो पैंतालीस दिन से कम न होगा, जो नोटिस में उल्लिखित किया जाय या जो उसके द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जाय, भवन या भूमि में नोटिस में निर्दिष्ट कोई सुधार कार्य करे, और चूक करने की दशा में, उन समस्त या किन्ही बातों को, जो नोटिस के द्वारा किये जाने के लिये अपेक्षित हो, ऐसे अभिकरण से करा सकता है जिसे वह तदर्थ निर्दिष्ट करे;

(ख) किसी ऐसे भवन के स्वामी पर, जो उसकी राय में मानव निवास के लिये उपयुक्त न हो और जो उचित व्यय करके भी इस प्रकार उपयुक्त बनाये जाने के योग्य न हो, और प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति पर जिसके बारे में आवास आयुक्त को जानकारी हो कि उसका भवन में कोई स्वप्न है, चाहे वह पट्टेदार, बन्धकी या अन्य रूप से हो, नोटिस तामील कर सकता है, जिसमें उससे निर्दिष्ट समय के भीतर यह कारण बताने को कहेगा कि भवन गिराने का आदेश क्यों न दिया जाय और उन व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् स्वामी को यह निदेश दे सकता है कि वह भवन खाली होने के दिनांक से छः सप्ताह के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी अनुमति दी जाय, उसे गिरा दे, और चूक करने की दशा में, उसे ऐसे अभिकरण द्वारा गिरवा सकता है जिसे वह तदर्थ निर्दिष्ट करे;

(ग) खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये, किसी भवन या भूमि के अध्यासी पर, इस आशय का नोटिस तामील कर सकता है कि वह उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो नोटिस के तामील किए जाने के दिनांक से तीस दिन से कम न होगी, उसे खाली कर दे, तथा चूक करने की दशा में उक्त भवन या भूमि को खाली करा सकता है, और उस प्रयोजन के लिये आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है।

(2) यदि आवास आयुक्त उपधारा (1) के अधीन कोई सुधार कार्य करायें तो उस पर किया गया व्यय, जिनके अन्तर्गत मांग के दिनांक से भुगतान के दिनांक तक ऐसी दर से

ब्याज भी सम्मिलित है तो नियत की जाय, आवास आयुक्त द्वारा अवधारित किया जायेगा, और परिषद् उसे, यथास्थिति, भवन या भूमि के स्वामी से, ऐसी किस्तों में, जो नियत की जाये, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि स्वामी का दायित्व, आवास आयुक्त का यह समाधान कर देने पर कि—

(क) वह किसी अन्य व्यक्ति की ओर से केवल अभिकर्ता या न्यासी के रूप में भवन या भूमि का किराया लेता रहा है, और

(ख) उस अन्य व्यक्ति की ओर से उसके पास संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त धन नहीं है,

अभिकर्ता या न्यासी के रूप में उसके हाथ में कुल धनराशि तक सीमित होगा।

(3) यदि आवास आयुक्त उपधारा (1) के अधीन किसी भवन को गिरवा दे तो गिराने के व्यय की पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति इमारती सामान की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि से, यदि कोई हो, हो गयी समझी जायेगी। इमारती सामान की बिक्री से प्राप्त धनराशि में भवन गिराने और उसके इमारती सामान की बिक्री में हुये व्यय को, जो आवास आयुक्त द्वारा अवधारित किया जायेगा, काटने के पश्चात् शेष, यदि कोई हो, का भुगतान स्वामी को कर दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भवन का स्वामी बिक्री के पूर्व इमारती सामान को या उसके किसी भाग को हटाना चाहे तो वह आवास आयुक्त को, अनुमत समय के भीतर, भवन को गिराने के समस्त व्यय का भुगतान करके उसे उठा सकता है।

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन कोई सुधार कार्य किसी भवन में किया गया हो और परिषद् द्वारा अनुरक्षित किया जाता हो तो परिषद् ऐसे अनुरक्षण के व्यय को जो आवास आयुक्त द्वारा अवधारित किया जायेगा, भवन के अध्यासी से मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगी।

(5) यदि एक से अधिक व्यक्ति भूमि या भवन के स्वामी अथवा अध्यासी हों, या उनका पट्टेदार, बन्धकी या अन्य रूप में भवन में स्वतत्त्व हो तो, आवास आयुक्त उपधारा (2), उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन अवधारित व्यय के संबंध में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के दायित्व को अवधारित कर सकता है।

(6) यदि इस धारा के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में किसी भवन को खाली करने का आदेश दिया गया हो, तो आवास आयुक्त, यथाशक्य, भवन के अध्यासी को ऐसी रीति से और उस सीमा तक, जो नियत की जाय, अस्थायी वैकल्पिक गृह-स्थान देगा।

(7) उपधारा (2), उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन व्यय की धनराशि के अवधारण अथवा उपधारा (5) के अधीन अभिभाजन के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, न्यायाधिकरण को उक्त आदेश के विरुद्ध ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, अपील कर सकता है और उस पर न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये पदों "अध्यासी", "स्वामी" और "सुधार कार्य" के वही अर्थ होंगे जो समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962 की धारा 2 के खण्ड (च), (छ) और (ठ) में उनके लिये दिये गये हों, इस संशोधन के साथ कि उक्त-खण्ड (ठ) में शब्द "सक्षम प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द आवास आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और पद "उचित व्यय" का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में उसके लिये दिया गया हो।

37. मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किरायेदारों के संबंध में उपबन्ध.—(1) किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना प्रचलित हो, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, कोई व्यक्ति नियत प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना—

- (क) क्षेत्र में किसी भवन या भूमि से किसी किरायेदार को बेदखल करने के लिये कोई डिक्री या आदेश प्राप्त करने के निमित्त न तो कोई बाद संस्थित करेगा और न कोई कार्यवाही करेगा, व
- (ख) यदि ऐसे क्षेत्र में किसी भवन या भूमि से किसी किरायेदार को बेदखल करने के लिये योजना प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थित किसी वाद या की गई किसी कार्यवाही में कोई डिक्री या आदेश प्राप्त कर लिया जाय, तो ऐसी डिक्री या आदेश निष्पादित न करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात सरकार, परिषद् या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के किसी भवन या भूमि से किसी किरायेदार की किसी विधि के अधीन बेदखली पर अथवा उसके संबंध में लागू न होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा देने अथवा न देने में, नियत प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो नियत की जाये और निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्—

- (क) यदि किरायेदार बेदखल कर दिया जाये तो क्या उसे ऐसा वैकल्पिक गृह-स्थान उपलब्ध हो सकेगा जो उसके सामर्थ्य के भीतर हो;
- (ख) क्या बेदखली उप क्षेत्र में मलिन बस्ती के सुधार अथवा निपातन के हित में है;
- (ग) ऐसी अन्य बातें, यदि कोई हों, जो नियत की जायें।

(3) नियत प्राधिकारी के उपधारा (1) में अभिदिष्ट अनुज्ञा देने अथवा न देने के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाये, न्यायाधिकरण को अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(4) यदि ऐसे क्षेत्र में किसी भवन का काबिज कोई किरायेदार किसी भवन को इस आधार पर खाली कर दे अथवा उससे बेदखल कर दिया जाये कि उसकी आवश्यकता कोई सुधार-कार्य करने अथवा भवन को गिराने और उसका पुर्निर्माण करने के प्रयोजनार्थ है तो, वह किरायेदार, ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाये, नियत प्राधिकारी के पास यह घोषणा कर सकता है कि, यथास्थिति, भवन में सुधार कार्य पूरा हो जाने अथवा उसका पुर्निर्माण हो जाने के पश्चात् उस भवन का दखल उसे फिर से दे दिया जाये।

(5) ऐसी घोषणा प्राप्त होने पर नियत प्राधिकारी आदेश द्वारा भवन के स्वामी से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाये, भवन के सुधार-कार्य अथवा उसके पुनर्निर्माण की योजनाएं और उसके व्यय के अनुमान तथा ऐसे अन्य विवरण जो आवश्यक हों, प्रस्तुत करें, और प्रस्तुत की गयी ऐसी योजनाओं तथा अनुमानों और विवरणों, यदि कोई हो, के आधार पर तथा उपधारा (8) के उपबन्धों को ध्यान में रख कर और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, अस्थायी रूप से ऐसा किराया अवधारित करेगा जो किरायेदार द्वारा, यदि उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा की गयी घोषणा के अनुसरण में उसे उस भवन का दखल फिर से दे दिया जाये, देय होगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन अस्थायी रूप से अवधारित किराये की सूचना नियत रीति से किरायेदार तथा स्वामी को दी जायेगी।

(7) यदि किरायेदार ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात् नियत प्राधिकारी को लिखित रूप में, ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाये, यह सूचित कर दे कि जब उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा की गयी घोषणा के अनुसरण में उसे उस भवन का दखल फिर से दे दिया जाये तो, वह स्वामी को, जब तक कि उपधारा (8) के अधीन अन्तिम रूप से किराया अवधारित न हो जाये, उपधारा (5) के अधीन अस्थायी रूप से अवधारित किराया देगा तो नियत प्राधिकारी स्वामी को यह निदेश देगा कि वह, यथास्थिति, भवन में सुधार-कार्य पूरा हो जाने अथवा उसका पुनर्निर्माण हो जाने के पश्चात्, किरायेदार को उस भवन का दखल दे दे, और स्वामी ऐसे निदेश का पालन करने के लिये बाध्य होगा।

(8) यदि कोई ऐसा भवन, उपधारा (7) के अधीन जारी किये गये किसी निदेश के अनुसरण में किसी किरायेदार को किराये पर दे दिया जाये तो किरायेदार उस क्षेत्र में प्रचलित किराये के नियंत्रण से सम्बद्ध किसी विधि के होते हुये भी, स्वामी को ऐसा किराया देने का भागी होगा जो, यथास्थिति, भवन में सुधार-कार्य अथवा उसका पुनर्निर्माण पूरा हो जाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर अथवा ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जिसकी अनुमति पर्याप्त कारण बताये जाने पर दी जाये, नियत प्राधिकारी को तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उसके द्वारा अन्तिम रूप से अवधारित किया जाये, जो निम्नलिखित होगा—

(क) यदि भवन के संबंध में कोई सुधार-कार्य किया गया हो तो उतना वार्षिक किराया जो निम्नलिखित धनराशियों के योग के बराबर हो, अर्थात्—

- (1) वार्षिक किराया जो किरायेदार, सुधार-कार्य करने के प्रयोजनार्थ भवन को खाली करने के ठीक पूर्व, दे रहा था;
- (2) सुधार-कार्य के व्यय का छः प्रतिशत; और
- (3) किसी ऐसी भूमि के जिसे उक्त सुधार-कार्य करने के प्रयोजनार्थ अर्जित किया गया हो, मूल्य का छः प्रतिशत।

(ख) यदि भवन का पुनर्निर्माण किया गया हो तो उतना वार्षिक किराया जो भवन के पुनर्निर्माण के व्यय के तथा जिस भूमि पर भवन का पुनर्निर्माण किया गया हो, उसके मूल्य के योग के चार प्रतिशत के बराबर हो।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये भूमि का मूल्य, भूमि के संबंध में, यदि वह भूमि परिषद् द्वारा धारा 55 के अधीन अर्जित की जाती और भवन में सुधार कार्य या उसका पुर्निर्माण प्रारम्भ करने का दिनांक वह दिनांक होता जिसके अभिदेश से उक्त धारा 55 द्वारा यथा परिष्कृत लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट 1894 की धारा 23 के अधीन बाजार मूल्य निर्णीत किया जाता, देय प्रतिकर के बराबर धनराशि को समझा जायेगा।

(9) उपधारा (8) के अधीन किराये के अवधारण से क्षुब्ध कोई पक्ष, ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाये, न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(10) जब उपधारा (8) के अधीन अथवा उपधारा (9) के अधीन अपील पर किराया अन्तिम रूप से अवधारित कर दिया जाये, तो ऐसे अवधारण के पूर्व किरायेदार द्वारा भुगतान की गयी किराये की धनराशि का समायोजन इस प्रकार अन्तिम रूप से अवधारित किराये में कर दिया जायेगा और यदि इस प्रकार भुगतान की गयी धनराशि, अन्तिम रूप से अवधारित किराये से कम हो, या उससे अधिक हो तो किरायेदार, यथास्थिति, कमी को पूरा करेगा, अथवा धनराशि की वापसी का हकदार होगा।

38. स्थानीय प्राधिकारी में निहित भवन या भूमि का परिषद् को संक्रमण.—(1) जब कभी किसी आवास या सुधार योजना में समाविष्ट क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी में निहित कोई भवन, भूमि अथवा सड़क या उनका कोई भाग आये, तो परिषद् उस स्थानीय प्राधिकारी को नोटिस दे सकती है कि वह योजना के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है, और तदुपरान्त वह भवन, भूमि अथवा सड़क या उनका भाग परिषद् में निहित हो जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नोटिस देते समय, यदि परिषद् यह घोषणा करे कि, यथास्थिति, ऐसी भूमि, सड़क अथवा भाग परिषद् द्वारा केवल तब तक के लिये रखा जायेगा, जब तक कि वह धारा 41 के अधीन सड़क या खुले स्थान, या उनके भाग के रूप में स्थानीय प्राधिकारी को पुनर्निहित न कर दिया जाये तो सिवाय उक्त भूमि पर स्थित भवनों के संबंध में, यदि कोई हों, कोई प्रतिकर परिषद् द्वारा स्थानीय प्राधिकारी को देय नहीं होगा।

(3) उपधारा (2) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर यदि उपधारा (1) के अधीन कोई भूमि या भवन परिषद् में निहित हो, तो परिषद् स्थानीय प्राधिकारी को प्रतिकर स्वरूप, उस भूमि या भवन अथवा दोनों, जैसी भी दशा में हो, के बाजार मूल्य, जो योजना के प्रचलित होने के दिनांक पर हो, के बराबर धनराशि का भुगतान करेगी।

(4) यदि उपधारा (2) के अधीन की गयी घोषणा के पश्चात्, भूमि स्थानीय प्राधिकारी में पुनर्निहित न की जाये, तो परिषद् उस भूमि के संबंध में उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी को प्रतिकर का भुगतान करेगी।

(5) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई भवन, भूमि या सड़क अथवा उनका कोई भाग योजना के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है अथवा नहीं, या इस धारा के अधीन प्रतिकर देय है अथवा नहीं, या ऐसे प्रतिकर की धनराशि ठीक है या नहीं, तो वह मामला राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

39. योजना के प्रयोजन के लिये निजी सड़क या हाता का परिषद् को संक्रमण.—(1) जब कभी कोई ऐसी निजी सड़क या हाता या उनके किसी भाग की, जिस पर जनसाधारण या जनसाधारण के किसी भाग को आने जाने या उसका उपयोग करने का अधिकार हो और

जो परिषद् या किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित न हो, किसी आवास या सुधार योजना के निष्पादन के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी सड़क या हाता अथवा उनके भाग पर उनके निकट के प्रमुख स्थान पर, परिषद् एक नोटिस चिपकवायेगी जिस पर आवास आयुक्त के हस्ताक्षर होंगे और जिसमें—

(क) उस प्रयोजन का उल्लेख होगा जिसके लिये ऐसी सड़क, हाता या उनका भाग अपेक्षित हो, और,

(ख) यह घोषणा होगी कि परिषद्, नोटिस में निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक को या उसके पश्चात्, ऐसी सड़क हाता या उनके भाग का प्रभार, उनके स्वामी से ले लेगी, और साथ ही साथ ऐसे नोटिस की एक प्रतिलिपि उस सड़क या हाता या उनके भाग के स्वामी को भेजेगी।

(2) नोटिस में तदर्थ निर्दिष्ट दिनांक के पूर्व लिखित रूप में प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, परिषद् ऐसी सड़क या हाता या उनके भाग को अपने प्रभार में ले सकती है और तदुपरान्त वह परिषद् में निहित हो जायेगी।

(3) जब परिषद् उपधारा (2) के अधीन अपने में निहित किसी निजी सड़क या हाता या उनके भाग में परिवर्तन करे अथवा उसे बन्द कर दे तो वह उस पर अपना अधिकार निहित होने के दिनांक को बाजार मूल्य के आधार पर अवधारित प्रतिकर का भुगतान उसके पूर्व स्वामी को करेगी।

(4) यदि ऐसी सड़क, या हाता, या उनके भाग में परिवर्तन करने अथवा उसे बन्द करने से, उससे संलग्न संपत्ति के स्वामियों को, अथवा पास-पड़ोस के निवासियों को क्षति पहुंचे या सारवान असुविधा हो तो उन व्यक्तियों के उपयोग के लिये जो किसी संपत्ति या स्थान पर प्रवेश करने के साधन स्वरूप ऐसी सड़क या हाता अथवा उनके भाग का उपयोग करने के हकदार थे, परिषद् तुरन्त अन्य उचित साधन की व्यवस्था करेगी और यदि प्रवेश करने के ऐसे साधनों से ऐसी क्षति या असुविधा के लिये किसी ऐसे स्वामी अथवा निवासी की पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं होती तो परिषद् उसे धन के रूप में समुचित प्रतिकर भी देगी।

40. परिषद् में निहित सड़कों की मरम्मत.—जब कभी परिषद् अपने में निहित किसी सड़क पर सार्वजनिक यातायात के लिये उपयोग करने की अनुज्ञा दे तो वह सड़क की मरम्मत करके अच्छी दशा में रखेगी और उसका उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा तथा सुविधा के लिये सभी आवश्यक कार्य करेगी।

41. सड़कों और खुले स्थानों का स्थानीय प्राधिकारी को संक्रमण.—(1) परिषद् अपने द्वारा विन्यासित या परिवर्तित और अपने में निहित किसी सड़क को ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह स्थित हो, एक मास का नोटिस देने के पश्चात् सौंप सकती है, जब योजना में व्यवस्थित रीति से—

(क) ऐसी सड़क, यथाविधि समतल और पक्की बना दी जाये,

(ख) ऐसी सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करने के लिये आवश्यक रोशनी के खंभों की व्यवस्था कर दी जाये; और

(ग) ऐसी सड़क पर जल, नालियों और मल नालियों (sewers) की व्यवस्था कर दी जाये।

(2) जब किसी आवास या सुधार योजना का निष्पादन करते समय परिषद् द्वारा वायुसंचालन या मनोरंजन के प्रयोजनों के लिये किसी खुले स्थान की व्यवस्था की गई हो,

तो परिषद् यह संकल्प कर सकती है कि योजना पूरी हो जाने पर ऐसा स्थान सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी को संक्रमित कर दिया जायेगा, और तदुपरान्त ऐसे प्राधिकारों को संकल्प की सूचना दी जायेगी।

(3) स्थानीय प्राधिकारी उपधारा (3) के अधीन नोटिस की प्राप्ति पर परिषद् को आपत्ति कर सकता है या परिषद् से यह अपेक्षा कर सकता है कि किसी ऐसे खुले स्थान का इस प्रकार संक्रमण किये जाने के पूर्व वह ऐसे स्थान को घेर दे, समतल और दूर्वायुक्त बना दे, नाली की व्यवस्था और भूमि का विन्यास कर दे तथा वहां पर पद-मार्ग और रोशनी के खंभों की व्यवस्था कर दे। परिषद् ऐसे आपत्तियों तथा अपेक्षाओं पर विचार करेगी और जब उस प्रस्ताव की पुनः अभिपुष्टि या परिष्कार करने के लिये अन्तिम संकल्प पारित करेगी।

(4) यथास्थिति, नोटिस की अवधि समाप्ति पर या अन्तिम संकल्प के अनुसार ऐसी सड़क या खुला स्थान, स्थानीय प्राधिकारी में निहित होगा और तत्पश्चात् उसके अनुरक्षण, मरम्मत, रोशनी और सफाई की व्यवस्था स्थानीय प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

(5) यदि इस धारा में अभिदिष्ट किसी मामले के संबंध में परिषद् और स्थानीय प्राधिकारी के बीच कोई मतभेद हो तो वह मामला राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम तथा परिषद् और स्थानीय प्राधिकारी पर बन्धनकारी होगा।

42. सड़क पर निर्माण-कार्य की अवधि में प्रबन्ध.—(1) जब परिषद् द्वारा अपने में निहित किसी सड़क पर कोई निर्माण-कार्य, जो वैधतः किया जा सकता है, निष्पादित किया जा रहा हो तो, वह यह निदेश दे सकती है कि ऐसे निर्माण-कार्य के दौरान में वह सड़क सामान्य अथवा किसी निर्दिष्ट प्रकार के यातायात के लिये पूर्वतः अथवा अंशतः बन्द रहेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद्, जहां तक उचित रूप से व्यवहार्य हो,—

(क) यातायात के रास्ते का या उसे दूसरी ओर मोड़ने के लिये,

(ख) ऐसे सभी भू-गृहादि तक पहुंचने के लिये, जहां पहले ऐसी सड़क से प्रवेश किया जाता था, और

(ग) किसी जलोत्सारण, जल-संभरण या रोशनी के साधन के लिये जिस पर निर्माण-कार्य के निष्पादन के कारण बाधा पड़ती हो, पर्याप्त व्यवस्था करेगी।

(2) कोई ऐसा निदेश दिये जाने पर परिषद् सड़क के प्रमुख स्थान पर या उसके निकट पर ऐसा आदेश चिपकायेगी जिसमें इस प्रकार निदेशित सीमा तक यातायात का निषेध दिया होगा, और सड़क के आर-पार या उस पर ऐसी छड़ें, जंजीरें अथवा खंभे लगवायेगी जिन्हें वह आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये उचित समझे।

43. सार्वजनिक सड़क या हाता बन्द करने का अधिकार.—(1) परिषद्—

(क) अपने में निहित किसी सड़क या उसके किसी भाग को मोड़ सकती है, व्यपवर्तन कर सकती है, जन-साधारण के प्रयोग के लिये समाप्त अथवा स्थायी रूप से बन्द कर सकती है;

(ख) अपने में निहित किसी हाता या उसके भाग को जनसाधारण के उपयोग के लिये समाप्त, अथवा स्थायी रूप से बन्द कर सकती है।

(2) जब कभी परिषद् अपने में निहित किसी सड़क या हाता अथवा उसके किसी भाग को जनसाधारण के उपयोग के लिये समाप्त कर दे अथवा उसे स्थायी रूप से बन्द कर दे, वह किसी ऐसे व्यक्ति को, इस प्रकार समाप्त या बन्द किये जाने के कारण हुई विशेष क्षति के लिये ऐसे प्रतिकर का भुगतान करेगी जो नियमों के अनुसार अवधारित किया जाये।

(3) जब परिषद् में निहित कोई सड़क या हाता अथवा उसका कोई भाग उपधारा (1) के अधीन स्थायी रूप से बन्द कर दिया जाय तो, परिषद् उसका उतना भाग, जिसकी उसे कोई आवश्यकता न हो, बेच या पट्टे पर दे सकती हैं।

44. अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के अधिकारों पर इस अधिनियम के अधीन योजनाओं का प्रभाव.—(1) यदि धारा 28 के अधीन किसी क्षेत्र के संबंध में आवास या सुधार योजना का कोई नोटिस प्रकाशित हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार की यह राय हो कि लोक-हित में यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अधीन बनायी गयी किसी ऐसी योजना के, जिसके अन्तर्गत वही क्षेत्र अथवा उसका भाग आता हो, संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन आगे की कार्यवाही चाहे वह विज्ञप्ति जारी करने, विचार करने, स्वीकृति देने, परित्याग करने अथवा अन्य रूप में हो, नहीं की जानी चाहिये, तो वह, सम्बद्ध महापालिका को लिखित आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् यह निदेश दे सकती है कि योजना के संबंध में इस प्रकार आगे की कार्यवाही नहीं की जायेगी अथवा उसके संबंध में आगे की कार्यवाही ऐसे परिष्कारों के अधीन रहते हुये की जायेगी जो निर्दिष्ट की जाये, और यह भी कि योजना अथवा उसके ऐसे भाग से, जो निर्दिष्ट किया जाये, सम्बद्ध आगे की कार्यवाहियां, यदि कोई हों, परिषद् को संक्रमित हो जायेंगी और तुदपरान्त परिषद्, यथास्थिति, योजना अथवा उसके भाग के संबंध में आगे की कार्यवाही इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अनुसार उस प्रक्रम से करेगी जिस पर उसे वह संक्रमित की गयी हो :

प्रतिबन्ध यह है परिषद् यदि उचित समझे तो उक्त अधिनियम के अधीन पहले से किये गये किसी उपाय या कार्यवाही को वापस ले सकती है और इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन उक्त उपाय या कार्यवाही को नये सिरे से कर सकती है।

(2) यदि धारा 28 के अधीन नोटिस प्रकाशित कर दिया गया हो तो कोई भी नगर महापालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी जिसका योजना में समाविष्ट किसी क्षेत्र पर हो राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना ऐसे क्षेत्र में किसी संपत्ति का निस्तारण नहीं करेगा और न किसी संपत्ति पर या उसके संबंध में कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे कि संपत्ति के प्रकार में कोई परिवर्तन हो जाये और न ऐसी संपत्ति के संबंध में कोई विन्यास या सुधार करेगा और न उस संपत्ति को कोई क्षति पहुँचायेगा।

(3) राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम और उक्त अधिनियम के अधीन परस्पर विरोधी या परस्त पर व्याप्त योजनाओं के बीच समायोजन की व्यवस्था कर सकती है :

स्पष्टीकरण—सन्देह होने की दशा में पद "इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्ध" का तात्पर्य ऐसे उपबन्ध से हैं जिसे राज्य सरकार उस प्रयोजन के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदनुरूप उपबन्ध निर्दिष्ट करे।

45. योजना या प्रबन्ध आदि के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा परिषद् को भूमि आदि का संक्रमण.—राज्य सरकार, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् अपनी या अपने में निहित अथवा उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 18, 1962) के अधीन अर्जित या उस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करायी गयी किसी भूमि को चाहे वह उसके सीधे प्रबन्ध में हो या किसी स्थानीय

प्राधिकारी के प्रबन्ध में हो, ऐसी शर्तों तथा प्रतिबंधों पर जिसमें निर्दिष्ट संभाव्यता के होने पर सरकार द्वारा पुनर्ग्रहण करने की शर्त भी हो सकती है, जो सरकार आरोपित करना उचित समझे, परिषद् को संक्रमित कर सकती है।

46. दूसरों की प्रेरणा पर अन्य परियोजनाओं को हाथ में लेने का परिषद् का अधिकार.—राज्य सरकार के अनुरोध पर, या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर परिषद् किसी आवास या अन्य भवन-निर्माण परियोजना के निष्पादन का काम ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों पर, जो तय हों हाथ में ले सकती है।

47. परिषद् द्वारा अन्य योजनाओं का निष्पादन.—(1) राज्य सरकार के उपधारा (2) के अधीन अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपने हाथ में ले ली गयी किसी आवास या सुधार योजना का निष्पादन अथवा आगे का निष्पादन अथवा आगे का निष्पादन ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों पर जो उसके और उस स्थानीय प्राधिकारी के बीच तय हो, अपने हाथ में ले सकती है और तत्पश्चात् परिषद् ऐसी योजना का निष्पादन इस प्रकार करेगी कि मानों वह इस अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (5) के अधीन प्रचलित हुई हो।

(2) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि लोक-हित में यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अधीन स्वीकृत या आंशिक रूप से निष्पादित किसी सुधार योजना में आगे की कार्यवाही परिषद् द्वारा की जानी चाहिये तो वह सम्बद्ध नगरपालिका को लिखित आपत्ति करने का अवसर देने के पश्चात् निदेश दे सकती है कि किसी ऐसी योजना का निष्पादन या आगे का निष्पादन उसको ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों पर, जो वह उचित समझे, संक्रमित कर दिया, और तत्पश्चात् वह उस योजना का निष्पादन इस प्रकार करेगी कि मानों वह इस अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (5) के अधीन प्रचलित हुई हो।

(3) जब कभी उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिषद् द्वारा किसी योजना का निष्पादन अथवा आगे का निष्पादन अपने हाथ में लिया जाये तो उसका ऐसी योजना के संबंध में आसुधार शुल्क लगाने का वही अधिकार होगा, मानों उक्त योजना इस अधिनियम के अधीन बनायी और स्वीकृत की गयी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी योजना की दशा में धारा 50 में अभिदिष्ट घोषणा नोटिस द्वारा की जायेगी जो गजट में और ऐसे दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का समाचार-पत्र होगा और जिनका योजना में समाविष्ट क्षेत्र परिचलन हो और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या प्राधिकारियों को भेजी जायेगी जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर योजना में समाविष्ट क्षेत्र पड़ता हो। तदुपरान्त धारा 29 और 30 के उपबन्ध, जहां तक उनका संबंध आसुधार शुल्क लगाने के प्रस्तावों से है, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे और परिषद् उक्त उपबन्धों के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हो विचार करने के पश्चात् और आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् या तो प्रस्ताव को परित्यक्त कर सकती है या उसकी, परिष्कारों सहित अथवा परिष्कार रहित, पुष्टि कर सकती है।

(4) जब कभी उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी योजना का निष्पादन या आगे का निष्पादन परिषद् को संक्रमित किया जाये तो नगर महापालिका द्वारा या उसके विरुद्ध उस योजना से संबंध विचाराधीन कोई विधिक कार्यवाही जिसके अन्तर्गत लैण्ड

एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 के अधीन कोई कार्यवाही भी है, परिषद् द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती है, अभियोजित की जा सकती है अथवा प्रवर्तित की जा सकती है।

48. पर्यवेक्षण और प्रतिशत व्यय.—परिषद् अपने द्वारा बनायी गयी किसी आवास या सुधार योजना अथवा अपने हाथ में लिये गये किसी निर्माण कार्य के व्यय में ऐसी दरों पर, जो वह निश्चित करे, पर्यवेक्षण और प्रतिशत व्यय सम्मिलित कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निश्चित की गयी दर, योजना या निर्माण-कार्य के अन्य व्यय के साढ़े बारह प्रतिशत से अधिक न होगी।

49. परिषद् के अभिलेखों को मंगाने और किसी योजना का परिष्कार या रद्द करने का राज्य सरकार का अधिकार.—(1) इस अध्याय के उपर्युक्त उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार किसी ऐसी आवास या सुधार योजना, जिसे परिषद् द्वारा बनाने का प्रस्ताव हो या जो उसके द्वारा बनायी गयी हो अथवा निष्पादित की जा रही हो, के संबंध में किसी समय परिषद् के अभिलेखों को मंगा सकती है और उनका परीक्षण कर सकती है तथा किसी ऐसी योजना को परिष्कृत या रद्द कर सकती है अथवा फिर से विचार करने के लिये परिषद् को लौटा सकती है या यह निर्देश दे सकती है कि योजना ऐसे परिष्कारों के साथ निष्पादित की जाये जो निर्दिष्ट किये जायें अथवा ऐसे अन्य निदेश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी परिष्कार में किसी ऐसी भूमि या भवन का, जिसका मूल योजना के अन्तर्गत अर्जन करने का प्रस्ताव न हो, अनुबन्ध भिन्न अर्जन अन्तर्ग्रस्त हो, या किसी परिष्कार के कारण किसी ऐसी भूमि पर असुधार शुल्क देय हो जिस पर मूल योजना के अन्तर्गत कोई ऐसा शुल्क देय न हो तो, इस प्रकार प्रभावित व्यक्तियों को प्रस्तावित परिष्कार के विरुद्ध आपत्तियाँ करने का अवसर दिये बिना परिष्कार नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आदेश देने तक किसी ऐसी योजना का निष्पादन रोक सकती है।

(3) किसी योजना में उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक परिष्कार गजट में विज्ञापित किया जायेगा और वह विज्ञप्ति के दिनांक से प्रभावी होगा, किन्तु किसी ऐसे परिष्कार का मूल योजना के अन्तर्गत पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय 4

आसुधार शुल्क

50. आसुधार शुल्क के संबंध में घोषणा.—(1) जब परिषद् की राय में, किसी आवास या सुधार योजना के निष्पादन से योजना समाविष्ट क्षेत्र में किसी ऐसी भूमि का, जो उसके निष्पादन के लिये अपेक्षित न हो, मूल्य बढ़ जायेगा तो, परिषद् योजना बनाते समय यह घोषणा कर सकती है कि योजना के निष्पादन के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के संबंध में भूमि के स्वामी या उसमें स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा आसुधार शुल्क देय होगा।

(2) मूल्य में ऐसी वृद्धि वह धनराशि होगी जितनी धनराशि योजना का निष्पादन पूरा हो जाने पर भूमि का मूल्य, जिसका अनुमान इस आधार पर लगाया जायेगा मानों उक्त भूमि पर भवन न हों, योजना के निष्पादन के पूर्व उक्त भूमि के मूल्य से, जिसका अनुमान भी उसी

रीति से लगाया जायेगा, बढ़ जाये; और आसुधार शुल्क मूल्य में ऐसी वृद्धि का एक तिहाई होगा।

(3) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से यह घोषणा कर सकती है कि ऐसा आसुधार शुल्क किसी ऐसी भूमि के संबंध में भी देय होगा जो योजना में समाविष्ट क्षेत्र में स्थित न हो, किन्तु उस क्षेत्र से संलग्न और उसकी सीमाओं के आधे किलोमीटर के भीतर हो, यदि योजना के निष्पादन के फलस्वरूप ऐसी भूमि के मूल्य में वृद्धि हो जायेगी।

51. आसुधार शुल्क का निर्धारण.—(1) जब परिषद् को यह प्रतीत हो कि योजना में इतनी काफी प्रगति हो गई है जिससे कि आसुधार शुल्क की धनराशि अवधारित की जा सके तो, परिषद् तदर्थ संकल्प पारित करके यह घोषणा करेगी कि उक्त शुल्क अवधारित करने के लिये योजना का निष्पादन पूरा हो गया समझा जायेगा और तदुपरान्त प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिस पर धारा 29 के अधीन नोटिस तामील किया गया हो अथवा ऐसे व्यक्ति के स्वत्व के उत्तराधिकारी को, जैसी भी दशा हो, इस आशय का लिखित नोटिस देगी की परिषद् धारा 50 के अधीन ऐसी भूमि के संबंध में देय आसुधार शुल्क की धनराशि निर्धारित करने का प्रस्ताव करती है।

(2) ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् परिषद् उसके द्वारा देय आसुधार शुल्क की धनराशि नियत रीति से निर्धारित करेगी, और उस पर शुल्क निर्धारण आदेश की एक प्रतिलिपि तामील करेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन किया गया शुल्क निर्धारण, उपधारा (4) के अधीन अपील के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन शुल्क लगाने अथवा उसके निर्धारण के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो नियत की जाये, न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

(5) न्यायाधिकरण, पक्षों को नियत रीति से सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

(6) न्यायाधिकरण, अपील पर निर्णय होने तक, ऐसा अन्तरिम आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

52. मांग का नोटिस.—(1) जब धारा 51 के अधीन आसुधार शुल्क की धनराशि निर्धारित हो जाये तो, परिषद् नोटिस देकर शुल्कदाता से यह अपेक्षा करेगी कि वह इस प्रकार निर्धारित आसुधार शुल्क का भुगतान दस से अनधिक, ऐसी वार्षिक किस्तों में, और उन दिनांकों तक कर दे जो तदर्थ निश्चित किये जायें :

प्रतिबन्ध यह है कि शुल्कदाता किसी भी समय, आसुधार शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि अथवा उस समय देय शेष संपूर्ण धनराशि का भुगतान कर सकता है और ऐसी दशा में उसे ऐसी छूट दी जा सकती है जो नियत की जाये।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन निश्चित दिनांक तक आसुधार शुल्क की किसी किस्त का भुगतान न किया जाये तो, शुल्कदाता द्वारा उस दिनांक से छः प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक ऐसी दर से, जो नियत की जाये, ब्याज देय होगा और वह आसुधार शुल्क का भाग समझा जाएगा।

53. भूमि पर प्रभार के रूप में आसुधार शुल्क.—(1) किसी भूमि के संबंध में आसुधार शुल्क का देनदार कोई व्यक्ति, परिषद् को उसका भुगतान करने के बजाये, किसी भी समय, स्वेच्छा से, परिषद् के साथ ऐसा अनुबन्ध कर सकता है कि आसुधार शुल्क या यथास्थिति, उस के शेष का भुगतान ऐसी भूमि में उस व्यक्ति के स्वत्व पर प्रभार के रूप में इस शर्त के साथ बकाया छोड़ दिया जाये कि ऐसी धनराशि पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज निरन्तर प्रतिवर्ष देय होगा।

(2) आसुधार शुल्क के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा देय प्रत्येक भुगतान, जिसमें उपधारा (1) में अभिदिष्ट वार्षिक भुगतान भी शामिल है, तत्समय प्रचलित किसी विधि या अनुबन्ध में किसी बात के होते हुये भी, उस भूमि में ऐसे व्यक्ति के स्वत्व पर प्रथम प्रभार होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी भूमि पर राज्य सरकार को देय मालगुजारी का, यदि कोई हो, भुगतान पहले किया जायेगा।

(3) यदि उपधारा (1) के अनुसरण में निष्पादित अनुबन्ध के अधीन देय ब्याज की किसी किस्त का भुगतान तदर्थ निश्चित दिनांक को या ऐसी अनुग्रह अवधि के भीतर, जो नियत की जाये, न किया जाये तो, यथास्थिति, आसुधार शुल्क या उसका शेष ऐसी किस्त के साथ ही उस दिनांक को देय हो जायेगा।

(4) उपधारा (1) के अनुसरण में अनुबन्ध हो जाने के पश्चात् किसी भी समय कोई व्यक्ति उस धनराशि का भुगतान जिसके लिये प्रभार सृजित किया गया हो, उस दिनांक तक देय ब्याज सहित कर सकता है।

54. मालगुजारी की बकाया के रूप में आसुधार शुल्क आदि का वसूल किया जाना.—इस अध्याय के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी भूमि के संबंध में आसुधार शुल्क या वसूली के दिनांक तक उस पर देय किसी ब्याज के रूप में दी जाने वाली समस्त धनराशियां परिषद् द्वारा उक्त व्यक्ति या उसके स्वत्व-उत्तराधिकारी से मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेंगी।

अध्याय 5

संपत्ति संविदा और वित्त

55. भूमि अर्जित करने का अधिकार.—(1) इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये परिषद् द्वारा अपेक्षित कोई भूमि या उसमें कोई स्वत्व, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (ऐक्ट संख्या 1, 1894) के उपबन्धों के अधीन अर्जित किया जा सकता है और वह ऐक्ट इस प्रयोजन के लिये इस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट परिष्कारों के अधीन होगा।

(2) यदि किसी भूमि की, जिसके संबंध में, इस अधिनियम के अधीन आसुधार शुल्क लगाया गया हो, बाद में इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये आवश्यकता हो इस प्रकार शुल्क लगाया जाना उस भूमि के लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (ऐक्ट संख्या 1, 1894) के अधीन अर्जन करने में बाधक न होगी।

56. अनुबन्ध द्वारा भूमि अर्जित और निस्तारित करने का अधिकार.—ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये जो, नियत किये जायें, परिषद्—

(1) किसी व्यक्ति के साथ अनुबन्ध करके, इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये अपने द्वारा अपेक्षित किसी भूमि या उसमें किसी स्वत्व को खरीद सकती है, उसे पट्टे पर दे सकती है अथवा उसका विनिमय कर सकती है; या

- (2) अपने में निहित अथवा अपने द्वारा अर्जित किसी भूमि प्रतिधारण कर सकती है, उसको बेच सकती है, उसका विनिमय कर सकती है, उसे पट्टे पर दे सकती है अथवा अन्यथा उसका निस्तारण कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अधीन किसी योजना के लिये अर्जित किसी भूमि की बिक्री, विनिमय, पट्टे द्वारा या अन्य प्रकार से संक्रमण करने में, उस सीमा तक ऐसी रीति से जो नियत की जाये, अधिमान उन व्यक्तियों को दिया जायेगा जिनकी भूमि ऐसी योजना के लिये अर्जित की गयी हो।

57. संविदा आदि का निष्पादन और रजिस्ट्री.—(1) परिषद् की ओर से प्रत्येक संविदा या संपत्ति संबंधी हस्तान्तरण-पत्र लिखित रूप में होगा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से निष्पादित किया जायेगा जो नियत की जायें।

(2) इंडियन रजिट्रेशन ऐक्ट, 1908 (ऐक्ट संख्या 16, 1908) में दी गई किसी बात के होते हुये भी, आवास आयुक्त या परिषद् की ओर से किसी अनुबन्ध या अन्य संलेख का निष्पादन करने के लिये प्राधिकृत परिषद् के किसी अधिकारी के लिये यह आवश्यक न होगा कि वह किसी ऐसे अनुबन्ध या संलेख के रजिस्ट्री से सम्बद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में अथवा हस्ताक्षर करने के लिये किसी रजिस्ट्री कार्यालय में स्वयं अथवा एजेन्ट द्वारा उपस्थित रहे, जैसा कि उक्त ऐक्ट की धारा 58 में व्यवस्थित है :

प्रतिबन्ध यह है कि रजिस्ट्री अधिकारी, जिसे ऐसा संलेख प्रस्तुत किया जाय, यदि वह उचित समझे तो संलेख के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिये उसे आवास आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी को भेज सकता है, और उसके निष्पादन के संबंध में समाधान हो जाने पर वह, उस संलेख की रजिस्ट्री करेगा।

58. वित्तीय उपबन्ध.—(1) परिषद् की अपनी निधि होगी जो स्थानीय निधि समझी जायेगी और उसमें परिषद् द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जायेंगी।

(2) परिषद् की निधि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से यू०पी० को-ऑपरेटिव बैंक में अथवा किसी अनुसूचित बैंक में रखी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात परिषद् को ऐसी नगद धनराशि रखने से जो चालू भुगतानों के लिये आवश्यक हो, अथवा निधि के किसी ऐसे भाग का जो तुरन्त व्यय करने के लिये अपेक्षित न हो, इंडियन ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1882 (ऐक्ट संख्या 2, 1882) की धारा 20 में वर्णित किन्हीं प्रतिभूतियों में विनियोजन करने से रोकने वाली न समझी जायेगी।

(3) ऐसी शर्तों और परिसीमनों के अधीन रहते हुये, जो नियत की जायें, परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समय-समय पर ऋण ले सकती है अथवा वित्तीय व्यवस्था कर सकती है।

(4) ऐसी शर्तों और परिसीमनों के अधीन रहते हुये, जो नियत की जायें, परिषद् किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी, किसी सहकारी समिति या किसी अन्य व्यक्ति को गृह निर्माण के लिये ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों, पर जो वह अवधारित करे, ऋण और अग्रिम धन दे सकती है।

59. ऋण-पत्र.—(1) परिषद् समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसी धनराशियों के लिये और ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों पर जो नियत किये जायें ऋण-पत्र जारी कर सकती है।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये किन्हीं भी ऋण-पत्रों के मूलधन और ब्याज अथवा मूलधन या ब्याज के भुगतान की ऐसी रीति से, जो वह उचित समझे, प्रत्याभूति दे सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, जब तक कि ऐसी कोई प्रत्याभूतियां प्रचलित रहें, प्रत्येक वर्ष बजट के सत्र में राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष चालू वित्तीय वर्ष में दी गई प्रत्याभूतियों का, यदि कोई हो, एक विवरण-पत्र और उन कुल धनराशियों का, यदि कोई हों, एक अद्यावधिक लेखा रखेगी जिनका भुगतान किन्हीं ऐसी प्रत्याभूतियों के कारण राज्य के राजस्व से किया गया हो अथवा जिनका भुगतान इस प्रकार दी गई किसी धनराशि का प्रतिदान करने के निमित्त राज्य के राजस्व में किया गया हो।

(3) परिषद् द्वारा इस धारा के अधीन जारी किये गये ऋण-पत्र ऐसी रीति से जारी किये जायेंगे, संक्रमित किये जायेंगे, उनके संबंध में कार्यवाही की जायेगी और उनका मोचन किया जायेगा, जो नियत की जाये।

60. ऋण का प्रतिदान.—(1) परिषद् अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण के प्रतिदान के लिये ऐसी रीति से निक्षेप निधि स्थापित करेगी जो नियत की जाये।

(2) प्रत्येक ऐसी निक्षेप निधि का अनुरक्षण, विनियोजन और प्रयोग ऐसी रीति से किया जायेगा जो नियत की जाये।

(3) परिषद् निक्षेप निधि के विनियोजन के लिये और उस ऋण के प्रतिदान के लिये, जिसके लिये निधि की स्थापना की गयी हो, नियत रीति से न्यास का सृजन कर सकती है और यदि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निदेश दिया जाये तो अवश्य सृजन करेगी।

61. सरकार द्वारा अनुदान और ऋण.—राज्य सरकार, समय-समय पर, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर, जो वह अवधारित करे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, परिषद् को अनुदान अथवा ऋण दे सकती है।

62. संपत्ति के संक्रमण पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क.—(1) अचल संपत्ति के संक्रमण के किसी विलेख-पत्र पर इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 (ऐक्ट संख्या 2, 1899) द्वारा आरोपित शुल्क ऐसे क्षेत्र के जिसमें यह अधिनियम प्रचलित हो, भीतर स्थित अचल संपत्ति की दशा में "[प्रतिफल की धनराशि या मूल्य पर, जिसके अभिदेश के उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क की गणना की जाये]" दो प्रतिशत बढ़ा दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्टाम्प शुल्क में वृद्धि के उपरिलिखित प्रतिशत को पांच प्रतिशत तक बढ़ा सकती है।

(2) उक्त वृद्धि के फलस्वरूप होने वाली सभी वसूलियाँ प्रासंगिक व्ययों को, यदि कोई हों, काटने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा केवल परिषद् को अथवा, परिषद् और यथास्थिति, नगर महापालिका का नगरपालिका बोर्ड को ऐसे अनुपात में जो समय-समय पर ऐसी रीति से तथा ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो नियत किये जायें, अवधारित किया जाये, प्रदिष्ट और भुगतान की जायेगी।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 (ऐक्ट संख्या 2, 1899) की धारा 27 इस प्रकार पढ़ी जायेगी मानों उसमें विशेष रूप से यह अपेक्षा की गयी हो कि उसमें अभिदिष्ट विवरण—

(क) उस क्षेत्र के, जहाँ यह अधिनियम प्रचलित हो, भीतर स्थित संपत्ति, और

(ख) उस क्षेत्र के बाहर स्थित संपत्ति के संबंध में पृथक रूप से दिये जायें।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 (ऐक्ट संख्या 2, 1899) की धारा 64 इस प्रकार पढ़ी और समझी जायेगी मानों उसमें परिषद् तथा राज्य सरकार दोनों का अभिदेश किया गया हो।

(5) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, 1959) की धारा 172 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) और धारा 191 के तथा यू०पी० म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 (यू०पी० ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 128 के खण्ड (13-बी) तथा धारा 128-ए के उपबन्ध, ¹[‘उस सीमा तक जहाँ तक इस धारा के उपबन्धों के प्रतिकूल हों, प्रभावी न रह जायेंगे] और इस धारा के उपबन्ध अभिभावी होंगे।

²[‘यू०पी० जनरल क्लासेज ऐक्ट, 1904, की धारा 6, 8 और 24 के उपबन्ध ऐसी निवृत्ति के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि निरसन तथा पुनः अधिनियमन के संबंध में लागू होते हैं।

63. लेखे और लेखा-परीक्षा.—³[(1) (क) आवास आयुक्त, वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के पूर्व की जाने वाली विशेष बैठक में परिषद् के समक्ष उस वर्ष के लिये परिषद् का बजट रखेगा।

(ख) प्रत्येक ऐसा बजट, ऐसे प्रपत्र में तैयार किया जायेगा जो नियत किया जाये और जिसमें निम्नलिखित की व्यवस्था होगी—

(1) आवास और सुधार योजनायें जिनके बारे में परिषद् का प्रस्ताव है कि उन्हें अंशतः या पूर्णतः उस वर्ष निष्पादित किया जाये;

(2) परिषद् के समस्त दायित्वों का यथोचित रूप से निर्वाह; और

(3) इस अधिनियम को दक्षतापूर्वक प्रशासन;

और उसके साथ एक विवरण-पत्र होगा, जिसमें उस वर्ष के लिये पूंजी और राजस्व लेखे में अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय प्रदर्शित किये जायेंगे और उसमें ऐसी अन्य विशिष्टियाँ होंगी जो नियत की जायें।

(ग) परिषद् बजट पर विचार करने के पश्चात् उसे परिष्कार सहित या परिष्कार रहित स्वीकृत करेगी और उसे अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(घ) राज्य सरकार परिषद् द्वारा स्वीकृत बजट का अनुमोदन कर सकती है, या उसे ऐसे परिष्कारों के लिये, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, परिषद् को लौटा सकती है।

(ङ) जब कोई बजट इस प्रकार लौटाया जाये तब परिषद् तत्काल ऐसे परिष्कार करेगी और इस प्रकार परिष्कृत बजट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी जिसका अनुमोदन वह तब कर सकती है।

(च) आवास आयुक्त उस वित्तीय वर्ष के दौरान जिसके लिये राज्य सरकार ने बजट का अनुमोदन किया है, किसी समय परिषद् के समक्ष अनुपूरक बजट रख सकती है और ऐसे

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 10 सन् 1978 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 29 सन् 1966 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उपधारा (1) उ०प्र० अधिनियम संख्या 47 सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुपूरक बजट के संबंध में इस उपधारा के पूर्ववर्ती उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

(2) परिषद् ऐसे प्रपत्र में और रीति से लेख रखेगी और पक्का चिट्ठा तैयार करेगी जो नियत किया जाये।

(3) परिषद् के लेखों की परीक्षा ऐसे लेखा-परीक्षक द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे समयों पर की जायेगी, जो नियत किये जायें, और इस प्रकार नियुक्त लेखा-परीक्षक को ऐसे विषयों के सम्बन्ध में लेखों के प्रस्तुत किये जाने और सूचना दिये जाने की अपेक्षा करने के ऐसे अधिकार और परिषद् की किसी निधि या सम्पत्ति को अध्यक्ष, आवास आयुक्त और परिषद् के सदस्यों अधिकारियों तथा सेवकों की उपेक्षा या दुराचरण के कारण हुई किसी हानि, अपव्यय या दुर्विनियोग के लिये उनके विरुद्ध अस्वीकृति का अधिभार के सम्बन्ध में ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे, जो नियत किये जाये, और अधिभार तथा अधिभारित धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जो नियत की जाये और उनके अस्वीकृति तथा अधिभार के निर्णयों के विरुद्ध ऐसी अपील तथा ऐसी रीति से अपील की जा सकेगी, जो नियत की जाये।

(4) लेखा-परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित परिषद् के लेखे और उनके सम्बन्ध में लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य सरकार को भेजे जायेंगे, जो उनके संबंध में परिषद् को ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं जो वह उचित समझे और परिषद् ऐसे अनुदेशों का पालन करेगी।

(5) राज्य सरकार—

- (क) उपधारा (4) के अधीन प्राप्त परिषद् के लेखे और उनके सम्बन्ध में लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी, और
- (ख) परिषद् के लेखे को नियत रीति से प्रकाशित करवायेगी तथा उचित मूल्य पर बिक्री के लिये उसकी प्रतिलिपियों को उपलब्ध करायेगी।

अध्याय 6

न्यायाधिकरण

64. न्यायाधिकरण के कृत्य और उसका संघटन.—(1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञापित द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये एक या अधिक न्यायाधिकरण संघटित कर सकती है—

- (क) इस अधिनियम की अनुसूची द्वारा यथा परिष्कृत लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (ऐक्ट संख्या 1, 1894) के अधीन परिषद् के लिये भूमि का अर्जन करने के अभिदेश में न्यायालय के कृत्यों का सम्पादन;
- (ख) विवाद की दशा में और नियत रीति से अभिदेश किये जाने पर, इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अधीन परिषद् द्वारा देय प्रतिकर का अवधारण;
- (ग) आसुधार शुल्क लगाने या उसके निर्धारण से सम्बन्ध अपीलों पर निर्णय;
- (घ) धारा 36 तथा 37 [* * *] के अधीन अपीलों पर निर्णय; और

(ड) ऐसे अन्य विषयों का, जो नियत किये जायें, निर्णय।

(2) न्यायाधिकरण ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जो उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय, क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।

(3) न्यायाधिकरण में एक दीवानी न्यायिक अधिकारी होगा जो जिला न्यायाधीश के पद से नीचे का न होगा।

स्पष्टीकरण—पद "जिला न्यायाधीश" के अन्तर्गत कोई अपर जिला न्यायाधीश भी हैं।

(4) इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये, न्यायाधिकरण को वही अधिकार प्राप्त होंगे, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (ऐक्ट संख्या 6, 1908) के अधीन दीवानी न्यायालय में निहित हों, वह उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त कोड में निर्धारित हो, और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (ऐक्ट संख्या 5, 1898) की धारा 480 और 482 के अर्थ में उसे दीवानी न्यायालय समझा जायेगा, और न्यायाधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दण्डसंहिता (ऐक्ट संख्या 45, 1860) की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(5) न्यायाधिकरण के रूप में, नियुक्त न्यायिक अधिकारी को ऐसा पारिश्रमिक दिया जायेगा जो नियत किया जाय।

(6) न्यायाधिकरण, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, ऐसे अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सकता है जिन्हें वह अपने कार्य संचालन के लिये आवश्यक समझे, और ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों का पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो नियत की जायें।

(7) न्यायाधिकरण के रूप में नियुक्त न्यायिक अधिकारी तथा न्यायाधिकरण के अन्य अधिकारियों और सेवकों को देय पारिश्रमिक परिषद् की निधि से दिया जायेगा।

65. विचाराधीनवादों का न्यायाधिकरण को संक्रमण.—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 (ऐक्ट संख्या 2, 1959) के अधीन किसी ऐसी सुधार योजना के संबंध में जो इस अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) या धारा 47 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिषद् को संक्रमित की जायें महापालिका के लिये भूमि अर्जन करने के अभिदेश में उक्त अधिनियम के अधीन संघटित किसी न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन कोई वाद, ऐसे संक्रमण पर धारा 64 के अधीन संघटित ऐसे न्यायाधिकरण को संक्रमित हो जायेगा जिसका उक्त नगर के संबंध में अधिकार क्षेत्र हो और तदुपरान्त उक्त न्यायाधिकरण उस प्रक्रम के आगे की कार्यवाही करेगा जिस पर उसे इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार संक्रमित किया गया हो।

66. न्यायाधिकरण के निर्णयों का अन्तिम होना.—(1) इस अधिनियम की अनुसूची द्वारा यथा परिष्कृत लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 के अधीन भूमि के अर्जन से संबद्ध वाद में न्यायाधिकरण का कोई अभिनिर्णय, उक्त ऐक्ट के अधीन न्यायालय का अभिनिर्णय समझा जायेगा और उक्त ऐक्ट की धारा 54 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अन्तिम होगा।

(2) न्यायाधिकरण को इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य निर्णय अन्तिम होगा।

67. न्यायाधिकरण के अभिनिर्णयों और आदेशों से सम्बद्ध अन्य उपबन्ध.—(1) धन का भुगतान करने के लिये, कब्जा देने के लिये या किसी संरचना (Structure) को हटाने के

लिये न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये किसी अभिनिर्णय या अन्य आदेश को, 'सिविल प्रक्रिया संहिता', 1908 ऐक्ट संख्या 5, 1908 की धारा 2 के क्रमशः खण्ड (2) और खंड (9) के अर्थ में डिफ्री, और ऐसे अभिनिर्णय या आदेश के कारणों के कथन को निर्णय समझा जायेगा।

(2) प्रत्येक ऐसे अभिनिर्णय या आदेश में प्रत्येक पक्ष द्वारा किये गये व्ययों की धनराशि का तथा किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में उनका भुगतान किया जायेगा, इसका भी उल्लेख होगा।

(3) न्यायाधिकरण के अभिनिर्णय या आदेश पर कोई स्टाम्प शुल्क प्रभार नहीं होगा, और अभिनिर्णय या आदेश के अधीन दावा करने वाला व्यक्ति उसकी एक प्रतिलिपि निःशुल्क पाने का हकदार होगा।

(4) उपधारा (2) में अभिदिष्ट कोई अभिनिर्णय या आदेश ऐसे न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जा सकेगा जो नियत किया जाये।

अध्याय 7

परिषद् के भू-गृहादि से बेदखली और किराये तथा क्षति मूल्य की वसूली

¹[68. यू०पी० कंट्रोल ऑफ रेंट एन्ड इक्वीजीशन ऐक्ट 1947 (संख्या 3, 1947) का अपवर्जन.—यू०पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल ऑफ रेंट एन्ड इक्वीजीशन ऐक्ट, 1947 (ऐक्ट संख्या 3, 1947) के उपबन्ध परिषद् द्वारा किराये पर दिये गये गृह-स्थान पर लागू न होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी व्यक्ति को ऐसे गृह-स्थान से बेदखल करने की अनुमति नहीं देगी जो उसके कब्जे में परिषद् द्वारा अर्जन करने के पहले से हो, किन्तु ऐसा उक्त ऐक्ट या धारा 69 के उपबन्धों के अनुसार किया जा सकता है।

²[69. बेदखली और किराये, आदि की वसूली के लिये संक्षिप्त प्रक्रिया.—(1) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882, (ऐक्ट संख्या 4, 1882) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (ऐक्ट संख्या 5, 1908) या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि नियत प्राधिकारी की यह राय हो कि—

(क) परिषद् के किसी भू-गृहादि पर कब्जा करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति ने—

- (1) ऐसे भू-गृहादि के संबंध में अपने द्वारा कानूनी तौर से देय किराया कम से कम तीन महीने तक नहीं दिया है; या
- (2) परिषद् की लिखित अनुज्ञा के बिना उक्त संपूर्ण भू-गृहादि या उसके भाग को शिकमी किराये पर दे दिया है; या
- (3) स्पष्ट या अन्तर्निहित किन्हीं भी ऐसी शर्तों का, जिनके अधीन वह ऐसे भू-गृहादि पर कब्जा करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो, उल्लंघन करके अन्यथा कार्य किया है; या

(ख) किसी व्यक्ति का परिषद् के किसी भू-गृहादि पर अनधिकृत रूप से कब्जा है, तो नियत प्राधिकारी, एतदपश्चात् व्यवस्थित रीति से एक लिखित नोटिस जारी कर सकता है, जिसमें वह उस व्यक्ति से, यदि कोई हो, जो संपूर्ण भू-गृहादि

1. धारा 68 उ०प्र० अधिनियम संख्या 28 सन् 1976 द्वारा निरस्त।

2. धारा 69 उ०प्र० अधिनियम संख्या 22 सन् 1972 द्वारा निरस्त।

या उसके किसी भाग पर कब्जा करने के लिये प्राधिकृत है और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से जिसका उस पर कब्जा हो, यह कारण बताने के लिये कहेगा कि क्यों न बेदखली और बकाया किराया तथा क्षतिमूल्य की, यदि कोई हो, वसूली के लिये आदेश जारी किया जाये।

(2) उपधारा (1) के अधीन नोटिस में निम्नलिखित बातें ही होंगी—

(क) कारण, जिनके आधार पर बेदखली या बकाया किराया या क्षति मूल्य की वसूली के लिये आदेश देने का प्रस्ताव है; और

(ख) 'अवधि जिसके भीतर प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताया जायेगा, जो नोटिस की तामील से पन्द्रह दिन पूर्व की न होगी किन्तु नियत प्राधिकारी, प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, नोटिस में या अन्यथा दावा की गयी धनराशि का भुगतान करने के संबंध में ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे अतिरिक्त समय दे सकता है।

(3) नियत प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन नोटिस, परिषद् के भू-गृहादि के बाह्य द्वार, या किसी अन्य प्रमुख स्थान पर चिपकवाकर और ऐसी अन्य रीति से, जो नियत की जाये, तामील करायेगा, और इसके बाद नोटिस समस्त सम्बद्ध व्यक्तियों को यथोचित रूप से दिया गया समझा जायेगा।

(4) यदि नियत प्राधिकारी को यह ज्ञात हो या यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति का परिषद् के भू-गृहादि पर कब्जा है, तो उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह नोटिस की एक प्रतिलिपि रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज कर अथवा उसे देकर या ऐसी अन्य रीति से, जो नियत की जाये, उस पर तामील करायेगा।

(5) यदि उपधारा (1) के अधीन नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा बताये गये कारण और उसके समर्थन में किसी साक्ष्य, जो वह प्रस्तुत करे, पर विचार करने के पश्चात् और उसे सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् नियत प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि उपधारा (1) में उल्लिखित कोई परिस्थिति विद्यमान है, अथवा नोटिस जारी किये जाने के दिनांक को विद्यमान थी तो वह, तदर्थ निश्चित किये जाने वाले दिनांक को, कारणों का उल्लेख करते हुये एक आदेश दे सकता है जिसमें यह निदेश दिया जायेगा कि परिषद् के भू-गृहादि उन समस्त व्यक्तियों द्वारा खाली कर दिये जायें जिनका उस पर या उसके किसी भाग पर कब्जा हो और यह भी आदेश दे सकता है कि कोई व्यक्ति, किराये या क्षतिमूल्य की ऐसी बकाया धनराशि का भुगतान करे जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट की जाये।

(6) यदि वह व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखंड (1) या उपखंड (3) के अधीन कारण बताने के लिये कहा गया हो, अनुमत समय के भीतर परिषद् को छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित बकाया किराये और ऐसे व्ययों का, जो नियत किये जायें, भुगतान कर दे, या यथास्थिति, नियत प्राधिकारी के संतोषानुसार उन शर्तों के, जिनका उसने उल्लंघन किया हो, भंग करने का परिहार कर दे तो नियत प्राधिकारी, उपधारा (5) के अधीन ऐसे व्यक्ति को बेदखल करने के बजाये नोटिस को खारिज कर देगा, और तदुपरान्त ऐसा व्यक्ति उन्हीं शर्तों पर भू-गृहादि धारण करता रहेगा, जिन पर वह ऐसा नोटिस उस पर तामील किये जाने के ठीक पूर्व उन्हें धारण करता था।

(7) इस अध्याय के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिये नियत प्राधिकारी को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ऐक्ट संख्या 5, 1908 के अधीन किसी दीवानी न्यायालय में निहित हों, अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ पर उसका बयान लेना;

(ख) लेख्य प्रकट करने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना; और

(ग) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाये;

और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (ऐक्ट संख्या 5, 1898) की धारा 480 और 482 के अर्थ में वह दीवानी न्यायालय समझा जायेगा और ऐसी जांच में कोई कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (ऐक्ट संख्या 45, 1860) की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(8) यदि कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से तीस दिन या ऐसे अधिक समय के भीतर, जिसकी नियत प्राधिकारी अनुमति दे उपधारा (5) के अधीन बेदखली के आदेश का पालन करने से इंकार करता है अथवा पालन नहीं करता है, तो नियत प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा तदर्थ यथोचित रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उसे परिषद् के भू-गृहादि से बेदखल कर सकता है, और उसका कब्जा ले सकता है, और उस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हो।

(9) किराया या क्षतिमूल्य का कोई बकाया जिसका उपधारा (5) के अधीन भुगतान करने का आदेश दिया गया हो, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, कोई व्यक्ति परिषद् के किसी भू-गृहादि पर उस प्राधिकार के जिसके अधीन अथवा जिस हैसियत से, उसे भू-गृहादि पर कब्जा करने की अनुमति दी गयी थी, यथोचित रूप से समाप्त किये जाने या जैसी भी स्थिति हो, समाप्त हो जाने के पश्चात् कब्जा जारी रखे, तो वह "अनधिकृत रूप से काबिज" समझा जायेगा, और कोई व्यक्ति केवल इस कारण से कि उसने किराये के रूप में कोई धनराशि अदा की है, अधिकृत रूप से काबिज नहीं समझा जायेगा।

70. अपील.—(1) नियत प्राधिकारी के धारा 69 की उपधारा (5) के अधीन किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर न्यायाधिकरण को अपील दायर कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि न्यायाधिकरण ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि अपीलार्थी नियत समय के भीतर पर्याप्त कारण से अपील न दायर कर सका।

(2) यदि नियत प्राधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर की गयी हो तो न्यायाधिकरण उस आदेश के प्रवर्तन को ऐसी अवधि के लिये और ऐसी शर्तों पर, जो वह उचित समझे, रोक सकता है।

(3) न्यायाधिकरण, पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील के अधीन आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है, या उसमें परिष्कार कर सकता है अथवा वाद को नियत प्राधिकारी के पास प्रतिप्रेषित कर सकता है।

71. वेतन या मजदूरियों से कटौतियां करके किराये की वसूली.—(1) यदि परिषद् का कोई भू-गृहादि किसी ऐसे व्यक्ति को किराये पर दिया जाये जो राज्य सरकार या किसी

स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा किसी कारखाने या औद्योगिक अधिष्ठान में सेवायोजित हो, तो वह परिषद् के पक्ष में एक अनुबन्ध ऐसे प्रपत्र में निष्पादित कर सकता है जो नियत किया जाये, और उसमें इस बात की व्यवस्था होगी कि राज्य सरकार, या स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य सेवायोजक, जैसी भी दशा हो, जिसके द्वारा वह सेवायोजित हो, उसे देय वेतन या मजदूरी से ऐसी धनराशि, जो अनुबन्ध में निर्दिष्ट की जाये, काटने के लिये और इस प्रकार काटी गयी धनराशि का परिषद् को, ऐसे भू-गृहादि के संबंध में उसके द्वारा देय किराये के निस्तारण के रूप में भुगतान करने के लिये सक्षम होगा।

(2) ऐसा अनुबन्ध निष्पादित हो जाने पर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य सेवा योजक, जैसी भी दशा हो, यदि परिषद् द्वारा लिखित रूप में अपेक्षा की जाये तो, कर्मचारी के वेतन या मजदूरी से अनुबन्ध के अनुसार कटौती करेगा और इस प्रकार काटी गयी धनराशि का भुगतान परिषद् को करेगा, भले ही पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, 1936 (ऐक्ट संख्या 4, 1936) में कोई बात दी हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन काटी गयी धनराशि का यह प्रभाव होगा कि इस प्रकार काटी गयी धनराशि के संबंध में कर्मचारी परिषद् के प्रति अपने दायित्व से पूर्णतया विमुक्त हो जायेगा।

स्पष्टीकरण—पद "कारखाना" और "औद्योगिक अधिष्ठान" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो पेमेन्ट ऑफ वेजेज ऐक्ट, 1936 (ऐक्ट संख्या 4, 1936) में क्रमशः पद "Factory" और "Industrial Establishment" के लिये दिये गये हों।

¹[71. क. [* * *]]

²[72. न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक.—नियत प्राधिकारी के किसी ऐसे आदेश पर, जो इस अध्याय द्वारा या उसके अधीन प्राप्त किसी अधिकार का प्रयोग करके दिया गया हो, किसी न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी।

अध्याय 8

अपराध और शास्तियाँ

73. योजनाओं का उल्लंघन करके भवन निर्माण करने के लिये शास्ति.—यदि कोई व्यक्ति धारा 23 की उपधारा (3) के खण्ड (क), धारा 24 की उपधारा (4) या धारा 35 के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी भवन का निर्माण, या पुनर्निर्माण करे, या उसमें परिवर्द्धन या परिवर्तन करे तो उसे अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और, यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसमें प्रथम बार सिद्धदोष ठहराये जाने के पश्चात् उल्लंघन जारी रहीं, पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

74. ठेकेदार के कार्य में रुकावट डालने या चिन्ह हटाने के लिये शास्ति.—यदि कोई व्यक्ति—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके साथ परिषद् ने ठेका किया हो, अपने कर्तव्य अथवा किसी ऐसे काम का पालन या निष्पादन करने में रुकावट डाले अथवा व्यथित करे जिसे वह इस अधिनियम या किसी नियम अथवा विनियम के आधार पर या उसके परिणाम स्वरूप करने के लिये अधिकृत अथवा जिसकी उससे इस प्रकार अपेक्षा की गयी हो; या

(ख) किसी सतह या दिशा को इंगित करने के प्रयोजन के लिये लगाये गये किसी ऐसे चिन्ह को हटाये जो इस अधिनियम या किसी नियम अथवा विनियम द्वारा प्राधिकृत निर्माण कार्य के निष्पादन के लिये आवश्यक हो तो,

उसे कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो छः मास तक हो सकता है अथवा अर्थ-दण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

75. परिषद् के साथ ठेके आदि में अंश या स्वत्व अर्जित करने के लिये शास्ति.—यदि परिषद् का अध्यक्ष या कोई सदस्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या किसी साझेदार, सेवायोजक अथवा कर्मचारी द्वारा, परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से, किसी ठेका या सेवायोजन में अर्थ संबंधी या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश अथवा स्वत्व अर्जित करें, जो ऐसा अंश या स्वत्व न हो, जो अध्यक्ष अथवा सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्हित न करता हो, या

यदि परिषद् का कोई अधिकारी या सेवक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या किसी साझेदार, सेवायोजक अथवा कर्मचारी द्वारा, परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से, किसी ठेका या जहां तक इसका संबंध ऐसे अधिकारी या सेवक के रूप में उसके सेवायोजन से है उसे छोड़कर किसी सेवायोजन में, धारा 4 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (1) या (2) उल्लिखित अंश या स्वत्व से भिन्न, अर्थ संबंधी या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या स्वत्व अर्जित करे तो, उसे साधारण कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो एक वर्ष तक का हो सकता है, या अर्थ-दण्ड दिया जायेगा या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

76. अन्य मामलों में शास्ति.—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के या किसी नियम अथवा विनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे तो उसे, यदि ऐसे उल्लंघन के लिये कोई अन्य शास्ति को व्यवस्था न की गयी हो अर्थ-दण्ड दिया जायेगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो उसे अतिरिक्त अर्थ-दण्ड दिया जायेगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसमें प्रथम बार सिद्ध-दोष ठहराये जाने के पश्चात् उल्लंघन जारी रहे, पच्चीस रुपये तक हो सकता है।

77. अपराधी का प्रतिकर भुगतान करने का दायित्व.—(1) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये सिद्ध-दोष ठहराया जाये, तो ऐसे व्यक्ति को सिद्ध-दोष ठहराने वाला न्यायालय, परिषद् द्वारा तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, ऐसे व्यक्ति से यह कारण तुरन्त बताने को कहेगा कि क्यों न वह अपने द्वारा किये गये कार्य से हुई क्षति के लिये, जिसके संबंध में वह सिद्ध दोष ठहराया गया है, परिषद् को प्रतिकर का भुगतान करे।

(2) न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा बताये गये किसी कारण पर विचार करेगा और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, यह निदेश दे सकता है कि एक हजार रुपये से अनधिक ऐसे प्रतिकर का, जो वह अवधारित करें, भुगतान परिषद् को किया जायेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन भुगतान किये जाने के लिये निदेशित प्रतिकर की धनराशि अर्थ-दण्ड के रूप में वसूल की जा सकेगी।

78. कम्पनियों द्वारा अपराध.—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का व्यवसाय चलाने के लिये कम्पनी का प्रभारी तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो और साथ ही कम्पनी भी, अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसा अपराध किये जाने को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी तो इस उपधारा में दी गयी किसी बात से वह दण्ड का भागी नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई ऐसा अपराध कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाये कि वह अपराध कम्पनी के किसी मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरीज एवं ट्रेजरर्स, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है तो वह मैनेजिंग एजेन्ट, सेक्रेटरीज एवं ट्रेजरर्स, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा तथा तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) “कम्पनी” का तात्पर्य निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” का तात्पर्य फर्म के साझेदार से है।

79. प्रक्रिया.—(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक न करेगा जब तक कि अपराध किये जाने से छः मास के भीतर परिषद् या तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत परिषद् के किसी अधिकारी द्वारा परिवाद न किया जाये अथवा उससे सूचना प्राप्त न हो।

(2) कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की सुनवाई न करेगा।

80. पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य.—प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित तथा प्रचलित करने के लिये आवास आयुक्त को सहयोग दे;

(ख) इस अधिनियम या किसी नियम के विरुद्ध किये जाने वाले अथवा किये गये किसी अपराध की कोई सूचना, जो उसे प्राप्त हो, परिषद् के समुचित अधिकारी या सेवक को अवलिम्ब दे; तथा

(ग) आवास आयुक्त या परिषद् के किसी अधिकारी या सेवक को ऐसी सहायता दे जिसकी वह इस अधिनियम या किसी नियम के अधीन अपने में निहित किसी अधिकारी का विधिसंगत प्रयोग करने के लिये उससे अपेक्षा करे।

81. अपराधों का अभिसंधान करना.—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अभिसंधान, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व अथवा पश्चात् आवास आयुक्त द्वारा या उसके सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसी शर्तों पर जो, यथास्थिति, आवास आयुक्त या अन्य अधिकारी उचित समझे, किया जा सकता है।

अध्याय 9

विविध

82. अनाधिकृत निर्माणों को हटाने के लिये निदेश देने का अधिकार.—(1) आवास आयुक्त नोटिस देकर धारा 73 के अभिदिष्ट भवन के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसे भवन का आगे निर्माण करना रोक दे और उसमें ऐसी रीति से तथा ऐसे समय के भीतर, जो नोटिस में निर्दिष्ट किये जायें, परिवर्तन करे या उसे गिरा दे।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन नोटिस का पालन न किया जाये तो आवास आयुक्त भवन अथवा उसके किसी भाग में, यथास्थिति, परिवर्तन करा सकता है अथवा उसे गिरवा सकता है और ऐसा करने में जो व्यय हुआ हो उसे वह उसके स्वामी से ऐसी रीति से वसूल कर सकता है जो नियत की जाये।

83. स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन.—राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र में जिसके संबंध में आवास या सुधार योजना, प्रचलित हो, गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि उस अवधि में जिसमें योजना प्रचलित रहे, ऐसे अधिकार और कृत्य जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उस अधिनियम के अधीन जिसके द्वारा ऐसे स्थानीय प्राधिकारी संघटित हों प्रयोक्तव्य हों, ऐसे अपवादों अथवा परिष्कारों के अधीन रहते हुये, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायें, यथास्थिति, परिषद् या आवास आयुक्त द्वारा प्रयुक्त तथा संपादित किये जायेंगे।

84. प्रवेश करने का अधिकार.—(1) आवास आयुक्त या उसके द्वारा तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति सहायकों या कर्मकारों के साथ या उनके बिना किसी भूमि में या उस पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये प्रवेश कर सकता है—

- (क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, मापन, मूल्यांकन या जांच करने;
- (ख) सतह मालूम करने;
- (ग) अवभूमि खोदने या बेचने;
- (घ) सीमाओं तथा निर्माण-कार्य की अभिप्रेत रेखाओं को नियत करने;
- (ङ) चिन्ह बनाकर और खाइयां काटकर ऐसी सतहों, सीमाओं और रेखाओं को चिन्हांकित करने, या
- (च) कोई अन्य कार्य करने जो इस अधिनियम या किसी नियम या विनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो;

प्रतिबन्ध यह है कि—

- (क) सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच इस प्रकार प्रवेश न किया जायेगा;
- (ख) किसी निवास गृह या स्थान में उस पर काबिज व्यक्ति को इस प्रकार प्रवेश करने के अभिप्राय की चौबीस घंटे से कम की सूचना पर, बिना उसकी सहमति के प्रवेश नहीं किया जायेगा;
- (ग) गृह के किसी भाग पर काबिज महिलाओं को हटाने के लिये समुचित अवसर तथा सुविधा दी जायेगी; और
- (घ) जिस भू-गृहादि में प्रवेश किया जाये उसके काबिजों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का, जहाँ तक संभव हो, यथोचित ध्यान रखा जायेगा।

(2) जब कभी आवास आयुक्त या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत कोई व्यक्ति, उक्त उपधारा के अनुसरण के किसी भूमि में या उस पर प्रवेश करे तो, वह इस प्रकार प्रवेश करने के समय उपर्युक्त किसी कार्य से होने वाली क्षति, यदि कोई हो, की पूर्ति करेगा या भुगतान के लिये प्रस्तुत करेगा; और, यदि इस प्रकार भुगतान की गयी अथवा प्रस्तुत धनराशि की पर्याप्तता के संबंध में विवाद हो तो वह, विवाद को तुरन्त परिषद् को अभिदिष्ट करेगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

85. प्रतिकर का भुगतान करने के लिये सामान्य अधिकार.—किसी ऐसे मामले में, जिसकी इस अधिनियम के अन्यथा स्पष्ट रूप से व्यवस्था न की गयी हो, परिषद् किसी ऐसे व्यक्ति को समुचित प्रतिकर का भुगतान कर सकती है, जिसे परिषद् या आवास आयुक्त अथवा परिषद् के किसी अधिकारी या सेवक में इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन निहित किसी अधिकार का प्रयोग करने के कारण क्षति पहुँची हो।

86. अध्यक्ष, आदि लोक-सेवक समझे जायेंगे.—¹[अध्यक्ष, उपाध्यक्ष] आवास, आयुक्त, परिषद् के समस्त सदस्य, अधिकारी और सेवक, इस अधिनियम के अधीन संघटित समितियों के सदस्य, न्यायाधिकरण, नियत प्राधिकारी तथा समस्त अन्य व्यक्ति जिन्हें इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करने का कार्य सौंपा गया हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक-सेवक समझे जायेंगे।

87. सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण.—कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार, परिषद् अथवा उसकी किसी समिति, अध्यक्ष, आवास आयुक्त, न्यायाधिकरण नियम प्राधिकारी या राज्य सरकार अथवा परिषद् के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या किसी नियम अथवा विनियम के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो।

88. वाद और विधिक कार्यवाहियाँ.—(1) आवास आयुक्त, परिषद् की ओर से और उसके नियंत्रण के अधीन रहते हुए—

(क) किन्हीं विधिक कार्यवाहियों को संस्थित कर सकता है अथवा उनका प्रतिवाद कर सकता है या उन्हें वापस ले सकता है, और

(ख) किसी दावे को स्वीकार कर सकता है, उसके संबंध में समझौता कर सकता है या उसे वापस ले सकता है।

(2) इस अधिनियम या किसी नियम अथवा विनियम के अधीन की गयी अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्यवाही के संबंध में परिषद् अध्यक्ष, आवास आयुक्त, न्यायाधिकरण या नियत प्राधिकारी अथवा परिषद् के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायेगा, जब तक कि, यथास्थिति परिषद् अध्यक्ष, आवास आयुक्त न्यायाधिकरण, नियत प्राधिकारी, या ऐसे अधिकारी अथवा सेवक को एक ऐसे लिखित नोटिस देने अथवा उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात्, दो महीने की अवधि व्यतीत न हो गयी हो, जिसमें वाद कारण, इच्छुक वादी का नाम और निवास-स्थान तथा अनुतोष जिसका वह दावा करे, का उल्लेख होगा और वाद-पत्र में यह भी लिखा जायेगा कि ऐसा नोटिस दे दिया गया है अथवा दिया गया है।

89. परिषद् के लेख्यों को सिद्ध करने की रीति.—(1) परिषद् के कब्जे को किसी रजिस्टर की प्रविष्टि या कोई रसीद, प्रार्थना-पत्र, नक्शा, नोटिस, आदेश या अन्य लेख्य की प्रतिलिपि, यदि वह तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा यथावत् प्रमाणित की गयी हो, ऐसी प्रविष्टियाँ लेख्य के प्रथम दृष्टि साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार के लिये ऐसे प्रत्येक वाद में तथा उस सीमा तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी जिसमें और जहां तक मूल प्रविष्टि या लेख्य, यदि वह प्रस्तुत किया गया होता, ऐसे विषयों को प्रमाणित करने के लिये ग्राह्य होता।

(2) परिषद् के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें परिषद् एक पक्ष न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या लेख्य प्रस्तुत करने की, जिसकी

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 11 सन् 2007 द्वारा शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष" प्रतिस्थापित (15 जून, 2007 से प्रभावी)।

अन्तर्वस्तुयें उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध की जा सकती हों अथवा उसमें अभिलिखित विषय या व्यवहार को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की, तब तक अपेक्षा न की जायेगी, जब तक कि न्यायालय उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसा आदेश देना आवश्यक न समझे।

90. स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा परिषद् को कर निर्धारण पुस्तिकाओं से प्रतिलिपियाँ दी जायेंगी।—स्थानीय प्राधिकारी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आवास आयुक्त के अनुरोध पर, उसे स्थानीय प्राधिकारी के किसी कर-निर्धारण की सूची की प्रतिलिपि अथवा उसका उद्धरण देगा।

91. देयों और शास्तियों की वसूली की रीति।—इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि द्वारा अथवा उसके अधीन व्यवस्थित वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शास्ति, क्षति-मूल्य, कर या शुल्क के रूप में देय कोई धनराशि जो इस अधिनियम के अधीन वसूल की जा सकने योग्य हो, अथवा किराये या अधिमूल्य के कारण अथवा धारा 71 के अधीन की गयी किसी कटौती के या गृह-निर्माण या सुधार के लिये परिषद् द्वारा दिये गये ऋण, अथवा किराया किस्त पर बेचे गये गृहों के मूल्य के रूप में परिषद् को देय कोई धनराशि, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

अध्याय 10

वाह्य नियंत्रण

92. परिषद् तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों पर राज्य सरकार का नियंत्रण।—(1) परिषद्—

(क) राज्य सरकार को ऐसे प्रतिवेदन और विवरणियों, ऐसे प्रपत्रों में और ऐसे अन्तरालों पर प्रस्तुत करेगी जो नियत किये जायें;

(ख) राज्य सरकार को परिषद् के नियंत्रणाधीन किसी विषय के संबंध में ऐसे लेख्य, विवरणियां, विवरण-पत्र, अनुमान प्रस्तुत करेगी या अन्य सूचना देगी जो राज्य सरकार द्वारा निदेशित की जाये।

(2) राज्य सरकार परिषद् को ऐसे निदेश दे सकती है जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या इष्टकर हों, और तदुपरान्त परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का पालन करे।

(3) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार किसी स्थानीय प्राधिकारी को ऐसे निदेश दे सकती है जो उसकी राय में परिषद् को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये समर्थ बनाने के निमित्त आवश्यक या इष्टकर हों और तदुपरान्त स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का पालन करें।

93. परिषद् का विघटन।—(1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करने में असफल रही है अथवा किसी अन्य कारण से परिषद् को कायम रखना आवश्यक नहीं है तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा, परिषद् को ऐसे दिनांक से विघटित कर सकती है जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाये।

(2) परिषद् के विघटन के संबंध में उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर—

- (क) अध्यक्ष, आवास आयुक्त और परिषद् के समस्त सदस्य विघटन के दिनांक से अपने पदों को रिक्त कर देंगे।
- (ख) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन समस्त अधिकार और कृत्य, जिनका प्रयोग तथा संपादन परिषद् या आवास आयुक्त द्वारा अथवा उसकी ओर से किया जाये, विघटन के दिनांक से, राज्य सरकार या ऐसे प्राधिकारी अथवा व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त तथा संपादित किये जायेंगे जिसे वह तदर्थ नियुक्त करे और ऐसी समस्त विद्यमान संविदायें, अनुबन्ध तथा अन्य संलेख जिनमें परिषद् या आवास आयुक्त एक पक्ष हो अथवा जो परिषद् या आवास आयुक्त के पक्ष में हो, लागू किये जा सकते हैं अथवा उन पर कार्यवाही की जा सकती है, और परिषद् या आवास आयुक्त द्वारा अथवा उसके विरुद्ध विचाराधीन समस्त वाद, अपीलें तथा अन्य विधिक कार्यवाहियां, राज्य सरकार या ऐसे प्राधिकारी अथवा व्यक्ति, जिसे वह तदर्थ नियुक्त करे, द्वारा अथवा उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती है, अभियोजित की जा सकती है अथवा लागू की जा सकती है।
- (ग) परिषद् में निहित निधि तथा अन्य संपत्तियां राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी; और
- (घ) समस्त दायित्व, जो परिषद् के विरुद्ध विधितः विद्यमान हो या प्रवर्तनीय हो, राज्य सरकार के विरुद्ध उस सीमा तक प्रवर्तनीय होंगे जिस सीमा तक परिषद् की निधि और संपत्तियाँ उसमें निहित हों।

(3) इस धारा की किसी बात से धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऋण-पत्रों के संबंध में उसके दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार किसी समय फिर से धारा 3 के अधीन परिषद् की स्थापना और धारा 7 के अधीन आवास आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है और तदुपरान्त—

- (क) उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अधिकार और कृत्य तथा संविदाओं, अनुबन्धों, और अन्य संलेखों और वादों, अपीलों तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों के संबंध में अधिकार और दायित्व, यथास्थिति, परिषद् या आवास आयुक्त में पुनर्निहित हो जायेंगे;
- (ख) उपधारा (2) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट निधि तथा अन्य संपत्तियां जो राज्य सरकार के पास खण्ड (घ) में निर्दिष्ट दायित्वों को पूरा करने के पश्चात् शेष रह जायें, परिषद् में पुनर्निहित हो जायेगी।

अध्याय 11

नियम और विनियम

94. नियम बनाने का अधिकार.—(1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकारी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

- (क) अध्यक्ष को देय पारिश्रमिक और परिषद् तथा आवास समितियों के सदस्यों को देय भत्ते, यदि कोई हो;
- (ख) आवास आयुक्त की सेवा की शर्तें;

- (ग) इकाइयों की आय तथा व्यय के लेखे रखने की रीति, जिसके अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों के बीच सम्मिलित आय और व्यय का अभिभाजन भी है;
- (घ) आवास समितियों का संघटन और वे शर्तें तथा प्रतिबन्ध जिनके अनुसार उनके सदस्य पद धारण करेंगे;
- (ङ) विषय जिन पर परिषद् आवास समिति से परामर्श करेगी;
- (च) परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों पर आवास आयुक्त द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखना;
- (छ) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा या उपधारा (2) के अधीन आवास आयुक्त द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान;
- (ज) आवास या सुधार योजना में व्यवस्थित किये जाने वाले विषय;
- (झ) धारा 23 की उपधारा (3) के खंड (ख), धारा 24 की उपधारा (4) और धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन परिषद् द्वारा प्रतिकर का अवधारण और भुगतान और उसके संबंध में विवाद की दशा में न्यायाधिकरण को अभिदेश करने की प्रक्रिया;
- (ञ) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार तथा व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों जिन पर धारा 29 के अधीन या धारा 33 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड (ख) के अधीन नोटिस तामील किया जायेगा;
- (ट) वे बातें जिन पर धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन विचार किया जायेगा, वह समय जिसके भीतर उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन घोषणा की जा सकेगी, उपधारा (5) के अधीन योजनायें, अनुमान तथा अन्य विवरण प्रस्तुत किये जा सकेंगे तथा उपधारा (7) के अधीन सूचना दी जा सकेगी और रीति जिसके अनुसार उपधारा (6) के अधीन सूचना दी जायेगी;
- (ठ) धारा 35 की उपधारा (2), धारा 36 की उपधारा (7) और धारा 51 की उपधारा (4) के अधीन अपीलों के लिये अवधि;
- (ड) ब्याज की दर जिस पर और किस्तें जिनमें धारा 36 की उपधारा, (2) के अधीन के व्ययों को वसूल किया जायेगा;
- (ढ) रीति जिसके अनुसार और सीमा जहां तक, धारा 36 की उपधारा, (6) के अधीन वैकल्पिक गृह-स्थान अर्पित किया जायेगा;
- (ण) न्यायाधिकरण और नियत प्राधिकारी द्वारा अपने समक्ष कार्यवाहियों के अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;
- (त) धारा 51 की उपधारा (2) के अधीन आसुधार शुल्क निर्धारित करने की रीति;
- (थ) धारा 52 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन अनुमत छूट तथा उपधारा (2) के अधीन देय ब्याज की दर;

- (द) धारा 53 की उपधारा (3) के अधीन किसी किस्त का भुगतान करने के लिये अनुग्रह अवधि;
- (ध) शर्तें और परिसीमायें जिनके अधीन रहते हुये परिषद् अनुबन्ध द्वारा भूमि अर्जित और निस्तारित कर सकती है;
- (न) वह सीमा जहां तक और वह रीति जिसके अनुसार अनुबन्धी द्वारा भूमि का निस्तारण करते समय उन व्यक्तियों को अधिमान दिया जायेगा जिनकी भूमि इस अधिनियम के अधीन किसी योजना के लिये अर्जित की गयी हो;
- (प) परिषद् की ओर से संविदाओं और हस्तान्तरण-पत्रों का निष्पादन करने के लिये प्राधिकारी और उनके निष्पादन करने की रीति;
- (फ) शर्तें और परिसीमायें जिनके अधीन रहते हुये, परिषद् ऋण ले सकती है अथवा वित्तीय व्यवस्था कर सकती है;
- (ब) परिषद् द्वारा जारी किये जाने वाले ऋण-पत्रों की शर्तें तथा प्रतिबन्ध और रीति जिसके अनुसार ऐसे ऋण-पत्र जारी व संक्रमित किये जायेंगे, तथा उनके संबंध में कार्यवाही की जायेगी और उनका मोचन किया जायेगा;
- (भ) शर्तें और परिसीमायें जिनके अधीन रहते हुये परिषद् ऋण और अग्रिम धन दे सकती है;
- (म) निक्षेप निधि की स्थापना, अनुरक्षण, विनियोजन और प्रयोग तथा धारा 60 की उपधारा (3) के अधीन न्यास का सृजन;
- (य) रीति और सिद्धान्त जिनके अनुसार अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की शुद्ध वसूलियां धारा 62 की उपधारा (2) के अधीन राज्य, सरकार द्वारा परिषद् और नगरमहापालिका या नगरपालिका बोर्ड की प्रदिष्ट की जायेंगी अथवा दी जायेगी;
- (कक) परिषद् के कार्यकलापों के कार्य-क्रम के विवरण-पत्र तथा अनुपूरक विवरण-पत्र और उनके संबंध में वित्तीय अनुमान प्रस्तुत करने की रीति और दिनांक जब तक वे राज्य सरकार को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे;
- (खख) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार परिषद् का पक्का-चिट्ठा और उसके लेखे तैयार किये जायेंगे या रखे जायेंगे;
- (गग) लेखा-परीक्षकों की अर्हतायें या उनका नाम निर्देशन, लेखा-परीक्षा करने की रीति और उसके अन्तराल, लेख्यों का अधियाचन करने और सूचना मांगने के संबंध में लेखा-परीक्षकों के अधिकार, वे विषय जिनके संबंध में वे लेख्य प्रस्तुत किये जाने और सूचना दी जाने की अपेक्षा करें, अस्वीकृति तथा अधिभार के संबंध में लेखा-परीक्षकों के अधिकार, रीति जिसके अनुसार अधिभार और अधिभारित धनराशि की वसूली के लिये कार्यवाहियां की जायेंगी तथा किसको और किसी रीति के अनुसार ऐसी अस्वीकृति तथा अधिभार के विरुद्ध अपील की जायेगी।
- (घघ) परिषद् के लेखे को प्रकाशित करने की रीति;
- (ङङ) विषय जिनका निर्णय न्यायाधिकरण धारा 64 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन कर सकता है;

- (चच) न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी को दिया जाने वाला परिश्रमिक, तथा न्यायाधिकरण के अन्य अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें;
- (छछ) न्यायालय जो धारा की उपधारा (4) के अधीन न्यायाधिकरण के किसी अभिनिर्णय या आदेश का निष्पादन करेगा;
- (जज) धारा 69 की उपधारा (6) के अधीन कार्यवाहियों में देय व्यय;
- (झझ) विषय, जिनके संबंध में नियत प्राधिकारी को धारा 69 की उपधारा (7) के अधीन दीवानी न्यायालय के अधिकार प्राप्त होंगे;
- (ञञ) धारा 71 के अधीन अनुबन्ध का प्रपत्र;
- (टट) रीति, जिसके अनुसार धारा 82 की उपधारा (2) के अधीन आवास आयुक्त द्वारा परिवर्तन करने या गिराने के व्यय वसूल किये जा सकते हैं;
- ✓(ठठ) प्रपत्र जिनमें और अन्तराल जिन पर परिषद् द्वारा राज्य सरकार को विवरणियां और प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जायेंगे;
- ✓(डड) इस अधिनियम के अधीन नोटिसों का प्रपत्र और उनको तामील करने की रीति;
- (ढढ) कोई विषय जिसके लिये धारा 95 के अधीन परिषद् द्वारा विनियम बनाया जाये;
- (णण) कोई अन्य विषय जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन नियम बनाये जायें अथवा बनाये जा सकते हैं।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अक्षि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों तथा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

95. विनियम बनाने का अधिकार.—(1) परिषद् गजट में विज्ञप्ति द्वारा निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिये विनियम बना सकती है—

- ✓(क) परिषद् और उसकी समितियों तथा आवास समितियों की बैठकों का समय तथा स्थान और उनको बुलाने की रीति तथा प्रास्थगन और स्थगन;
- ✓(ख) परिषद् और उसकी समितियों तथा आवास समितियों की बैठकों की प्रक्रिया और कार्य संचालन;
- ✓(ग) समितियों की नियुक्ति, उनका संघटन और प्रक्रिया;
- (घ) आवास आयुक्त और परिषद् के अधिकारियों द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान;
- (ङ) परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों के कर्तव्य;
- (च) परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों की सेवा की शर्तें;

- (छ) निर्माण-कार्यों के लिये योजनायें और अनुमान तैयार करना;
- (ज) आय-व्ययक तथा अनुमान तैयार करना;
- (झ) वह प्राधिकार, जिसके आधार पर परिषद् की निधि से धन दिया जा सकता है;
- ✓(ञ) सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन की रीति;
- ✓(ट) नोटिसों, बिलों तथा अन्य लेख्यों पर आवास आयुक्त और परिषद् के अधिकारियों के हस्ताक्षरों के प्रतिरूप की मुहर लगाना;
- (ठ) परिषद् द्वारा जारी किये गये लेख्यों, अनुमानों और योजनाओं की प्रतिलिपियों के लिये देय शुल्क;
- (ड) किसी आवास या सुधार योजना के अधीन निर्मित भवनों का प्रबन्ध, उपयोग और प्रदर्शन;
- (ढ) कोई अन्य विषय जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम या नियमों के अधीन विनियमों द्वारा की जाने वाली हो अथवा की जाये।

(2) यदि कोई विनियम, किसी नियम के प्रतिकूल हो तो वह नियम चाहे वह विनियम के पहले बनाया गया हो अथवा बाद में, अभिभावी होगा और विनियम प्रतिकूल होने की सीमा तक शून्य होगा।

अध्याय 12

निरसन तथा संक्रमणकालीन उपबन्ध

96. निरसन, संशोधन और अपवाद.—(1) इस अधिनियम के किसी क्षेत्र में प्रचलित होने के दिनांक को और उसी दिनांक से यू०पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 (यू०पी० ऐक्ट संख्या 8, 1919), यू०पी० टाउन इम्प्रूवमेंट (अपील्स) ऐक्ट, 1920 (यू०पी० ऐक्ट संख्या 20ए, 1920) और 1948 ई० (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या 47, 1948 ई०) का यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) ऐक्ट उस क्षेत्र में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में निरस्त हो जायेंगे और किसी अन्य प्रचलित विधि में यू०पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, 1919) के अधीन संघटित किसी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और उस ट्रस्ट के चेयरमैन का समस्त उल्लेख उस क्षेत्र के संबंध में क्रमशः परिषद् और आवास आयुक्त के संबंध में उल्लेख समझा जायेगा।

(2) किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना लागू हो, उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 18, 1962) का प्रवर्तन उस अवधि के लिये निलम्बित रहेगा जिसमें ऐसी योजना लागू रहे, और यू०पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 1, 1904) की धारा 6 के उपबन्ध ऐसे निलम्बन के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे मानों की निलम्बन इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियमित का निरसन हो।

(3) किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें कोई भावी सड़क योजना, प्रसार योजना अथवा मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना लागू हो, उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य-विनियमन) अधिनियम, 1958 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 34, 1958) '[उत्तर प्रदेश नगर महापालिका

अधिनियम, 1959 के (उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, 1959) के अध्याय 13, यू०पी० म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 178 से 186 तक (या उसकी धारा 338 के अधीन अथवा यू०पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, 1914 की धारा 38 के अधीन यथा प्रसारित उक्त धारायें), या यथास्थिति, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 162 से 171 तक का प्रवर्तन उस अवधि के लिये निलम्बित रहेगा जिसमें कोई ऐसी योजना लागू रहे और यू०पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 (यू०पी० ऐक्ट संख्या 1, 1904) की धारा 6 के उपबन्ध ऐसे निलम्बन के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे मानों कि निलम्बन इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियमिति का निरसन हो।

¹[(4) उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह व्यवस्था अधिनियम, 1955 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 23, 1955) में—

(1) जहां-जहां भी पद "गृह आयुक्त", गृह उपायुक्त" तथा "सहायक गृह आयुक्त" आये हों, उनके स्थान पर क्रमशः पद "श्रम आयुक्त", "उपश्रम आयुक्त (गृह)" तथा "सहायक श्रम आयुक्त (गृह)" रख दिये जायें;

(2) धारा 2 खण्ड (ग) में शब्द तथा अंक "की उपधारा (1) निकाल दिये जायें;

(3) धारा 3 में

(क) उपधारा (1) में शब्द "अ वा" और शब्द "किसी स्थानीय प्राधिकारी" के बीच में शब्द "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से भिन्न" रख दिये जायें;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (3) बढ़ा दी जाये—

"(3) यह अधिनियम, ऐसे गृहों पर भी लागू होगा जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन किसी योजना के निष्पादन में निर्मित हो और जिन्हें उक्त परिषद् सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के अधीन गृह घोषित करे"।

97. इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का विघटन और उसके परिणाम.—(1) इस अधिनियम के किसी क्षेत्र में प्रचलित होने के दिनांक को और उसी दिनांक से, उस क्षेत्र या उसके भाग के लिये संघटित इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट विघटित हो जायेगा और उसकी समस्त परिसंपत्तियां तथा दायित्व परिषद् को संक्रमित और उसमें निहित हो जायेंगी।

(2) किसी भूमि के संबंध में आसुधार कर जिसे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व लगाने, निर्धारित या वसूल करने का हकदार रहा हो, परिषद् द्वारा लगाया, निर्धारित अथवा वसूल किया जा सकता है, मानो वह इस अधिनियम के अधीन लगाये जाने योग्य कोई आसुधार शुल्क हो।

(3) यू०पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8, 1919) के अधीन प्रत्येक योजना और उससे सम्बद्ध समस्त कार्यवाहियाँ, जिसके अन्तर्गत आसुधार कर लगाने, निर्धारित तथा वसूल करने की कार्यवाहियां भी हैं, जो निश्चित दिनांक को विचाराधीन हों परिषद् को संक्रमित हो जायेगी जो इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अनुसार योजना अथवा उसके निष्पादन या उससे सम्बद्ध आसुधार शुल्क लगाने, निर्धारित तथा वसूल करने के संबंध में आगे की कार्यवाही उस प्रक्रम से करेगी, जिस पर वह उसे संक्रमित की गयी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद्, यदि उचित समझे तो उक्त ऐक्ट के अधीन पहले से किये गये किसी उपाय या कार्यवाही को वापस ले सकती है और इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन नये सिरे से उपाय या कार्यवाही कर सकती है।

स्पष्टीकरण—संदेह होने की दशा में, पद "इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्ध" का तात्पर्य उस उपबन्ध से है जो राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस प्रयोजन के लिये तदनुरूप उपबन्ध निर्दिष्ट किया जाये।

(4) जब तक कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा स्पष्ट रूप से व्यवस्था न की जाये, किसी भी प्रकार की सभी संविदायें, अनुबन्ध तथा अन्य संलेख जो निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व विद्यमान हों अथवा प्रभावी हों, और जिनमें इम्प्लूमेंट ट्रस्ट एक पक्ष हो अथवा जो ऐसे ट्रस्ट के पक्ष में हो, यथास्थिति, परिषद् के विरुद्ध या पक्ष में लागू और प्रभावी होंगे और उन्हें लागू किया जा सकता है या उन पर कार्यवाही की जा सकती है मानों इम्प्लूमेंट ट्रस्ट के बजाय परिषद् उनमें एक पक्ष रहा हो अथवा मानों वे परिषद् के पक्ष में किये गये हों।

(5) यदि निश्चित दिनांक को किसी इम्प्लूमेंट ट्रस्ट या उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई वाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही विचाराधीन हो तो उसे परिषद् द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती है, अभियोजित की जा सकती है अथवा प्रवर्तित की जा सकती है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये "विधिक कार्यवाही" के अन्तर्गत लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (ऐक्ट संख्या 1, 1894) के अधीन कोई कार्यवाही भी सम्मिलित है।

(6) किसी इम्प्लूमेंट ट्रस्ट का प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी, निश्चित दिनांक को और उसी दिनांक से, परिषद् का कर्मचारी हो जायेगा तथा उसी कार्यकाल के अनुसार, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं शर्तों तथा प्रतिबन्धों पर और आनुतोषिक, यदि कोई हो, तथा अन्य विषयों के संबंध में उन्हीं अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के साथ अपना पद धारा करेगा जो वह निश्चित दिनांक को धारण किये होता, यदि वह अधिनियम प्रचलित न हुआ होता, और वह तब तक इस प्रकार पद धारण करता रहेगा जब तक कि परिषद् द्वारा उसके पारिश्रमिक, शर्तों तथा प्रतिबन्धों में यथोचित रूप से परिवर्तन न कर दिया जाये।

(7) यदि निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व किसी व्यक्ति का इम्प्लूमेंट ट्रस्ट का पूर्णकालिक कर्मचारी होने अथवा न होने या उसके पारिश्रमिक और सेवा की शर्तों तथा प्रतिबन्धों के संबंध में कोई विवाद उठे तो उसे राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(8) तत्समय प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, किसी इम्प्लूमेंट ट्रस्ट के किसी कर्मचारी की सेवायें परिषद् को संक्रमित किये जाने से ऐसा कर्मचारी किसी प्रतिकर का हकदार न होगा, और इस प्रकार का कोई दावा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(9) यदि किसी इम्प्लूमेंट ट्रस्ट अपने कर्मचारियों के लाभार्थ भविष्य निधि या अधिवार्षिक निधि या कोई अन्य निधि स्थापित की हो तो निश्चित दिनांक को किसी ऐसी निधि में जमा धनराशियां, ऐसी निधि की अन्य परिसम्पत्तियों सहित, परिषद् को संक्रमित हो जायेगी और उसमें निहित हो जायेंगी।

98. कठिनाइयां दूर करने का अधिकार.—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को, या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, तत्समय प्रचलित किसी अन्य, अधिनियमिति को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार, अवसर की अपेक्षानुसार, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम आदेश में निर्दिष्ट अवधि पर्यन्त ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वह परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, प्रभावी होगा जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस प्रकार दिया जा सकता है कि वह किसी ऐसे दिनांक से, जो कि निश्चित दिनांक से पहले का न हो, भूतलक्षी हो।

(3) किसी क्षेत्र के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश निश्चित दिनांक से तीन वर्ष की समाप्ति पर नहीं दिया जायेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया आदेश, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

अनुसूची

(धारा 55 देखिए)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (ऐक्ट संख्या 1, 1894) (जिसे आगे "उक्त ऐक्ट" कहा गया है।) में परिष्कार।

1. उक्त ऐक्ट की धारा 3 का संशोधन.—उक्त ऐक्ट की धारा 3 के खंड (एच) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड बढ़ा दिये गये समझे जायं, अर्थात्—

(ज) "स्थानीय प्राधिकारी" के अन्तर्गत परिषद् भी है;

(ज) "परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम 1965 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से है।"

2. इस अधिनियम के अधीन नोटिसों का प्रभाव.—(1) इस अधिनियम की धारा 28 अथवा धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन किसी आवास या सुधार योजना का सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशित नोटिस, योजना के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में, उक्त ऐक्ट की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी गजट में तथा सम्बद्ध क्षेत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति का स्थान ले लेगा, और उसी के समान प्रभावी होगा, सिवाय उस दशा के जब उक्त ऐक्ट की धारा 4 के अधीन विज्ञप्ति या धारा 6 के अधीन घोषणा पहले की जा चुकी हो और उस समय भी लागू हो, और उक्त ऐक्ट की धारा 5-ए के उपबन्ध ऐसी भूमि की दशा में लागू नहीं होंगे।

(2) भावी सड़क योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि की दशा में इस अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन जारी किया गया नोटिस और इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य आवास या सुधार योजना के अन्तर्गत अर्जित भूमि की दशा में इस अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) या उपधारा (4), जैसी भी दशा हो, के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति उक्त ऐक्ट की धारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी घोषणा का स्थान ले लेगी तथा उसी के समान प्रभावी होगी, जब तक कि अन्तिम उल्लिखित धारा के अधीन घोषणा पहले ही न की जा चुकी हो और वह अब भी प्रचलित न हो।